राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून – 2013

सामाजिक संपरीक्षा मार्गदर्शिका

[विकास संवाद] | मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून 2013 और सामाजिक संपरीक्षा

मार्गदर्शिका

विषय सूची

1. प्रस्तावना
2. इस दस्तावेज का सन्दर्भ
3. अवधारणाएं
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के मुख्य प्रावधान
5. कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सामाजिक संपरीक्षा
7. संपरीक्षा का क्रियान्वयन - सार्वजनिक वितरण प्रणाली
8. सामाजिक संपरीक्षा का क्रियान्वयन - एकीकृत बाल विकास परियोजना
9. सामाजिक संपरीक्षा का क्रियान्वयन -मध्यान्ह भोजन योजना
10. सामाजिक संपरीक्षा का क्रियान्वयन – मातृत्व हक (प्रधानमन्त्री मातृत्व वंदना योजना)
11. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की सामुदायिक निगरानी के लिए प्रारूप

1. प्रस्तावना

पर्याप्त भोजन एवं पोषण हर एक नागरिक का हक है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोगों की बढती मांग के अनुरूप भारत सरकार ने सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 10 सितम्बर 2013 को खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया. इस कानून से करोडों लोगों को खाद्य सुरक्षा का हक मिला है. अब जरूरतमंद नागरिकों को राशन दुकान से राशन पाने का हक है, साथ ही सरकारी स्कूल व आंगनवाड़ी में बच्चों को गरम पका भोजन व 3 साल से छोटे बच्चों को घर में राशन देने का प्रावधान किया गया है. इस कानून के तहत गर्भवती व धात्री महिलाओं को मातृत्व लाभ भी दिये जाने की बात कही गयी है. पर कानून बन जाना तो एक बात है, इसे बेहतरी से लागू करना बड़ी चुनौती है. हमें इस कानून को सभी गांव व क्षेत्रों में मिलकर ठीक ढंग से लागू करना होगा एवं इसकी निरंतर देखरेख भी करना होगी यानी हमें इस कानून के तहत मिले हकों की निरंतर समीक्षा व मूल्यांकन मिलकर करना जरुरी है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल सभी कार्यक्रमों और योजनाओं की सामाजिक संपरीक्षा (अंकेक्षण) का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के जरिये हम खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में समुदाय भागीदारी को अधिक सशक्त व मजबूत बना सकते हैं और योजना के क्रियान्वयन को ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बना सकते हैं.

हमें यह देखने और चर्चा करने की जरुरत है कि हमारे गांव में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले राशन, आंगनवाड़ी में मिलने वाले पोषक आहार, स्कूल में मध्यान्ह भोजन की हालत क्या है? मातृत्व लाभ महिलाओं को मिल पा रहा है या नहीं. हम मिलकर लोगों के भोजन सुरक्षा को कैसे ज्यादा जवाबदेह, पारदर्शी व मजबूत कैसे बना सकते हैं?

संपादन टीम विकास संवाद

भोपाल

2. इस दस्तावेज का सन्दर्भ

इस दस्तावेज का सन्दर्भ

हमें यह जानना जरूरी है कि भुखमरी और कुपोषण का प्रकोप खाने की प्राकृतिक कमी के कारण पैदा नहीं होता है। ज्यादातर मामलों में खाने की कमी की स्थिति को रचा जाता है। इस रचना में राज्य, बाज़ार और समाज का एक खास तबका मिलजुल कर भूमिका निभाते हैं। इस पुस्तिका में हमने खाद्य सुरक्षा और खाद्य असुरक्षा के सामाजिक-राजनीति-आर्थिक और नीतिगत पहलुओं को खोलने की कोशिश की है। जिस तरह से खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा करने में केवल प्रकृति की भूमिका ही नहीं होती है, उसी तरह केवल कुछ कमज़ोर योजनाओं को लागू करके भी भुखमरी की स्थिति को खतम नहीं किया जा सकता है।

वर्ष 2001 में सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका के माध्यम से जन संगठनों ने भूख और भुखमरी की तत्कालीन स्थिति के लिए राज्य की जवाबदेही तय करने की मांग की थी। डेढ़ दशक से ज्यादा समय से चल रही इस कानूनी प्रक्रिया में बार-बार यह साबित हुआ है कि नीतियां भुखमरी और कुपोषण पैदा करती हैं. एक तरफ तो सरकारी भण्डार अनाज से भरे होते हैं, वहीं दूसरी और 100 में से 40 लोग भूखे पेट सो रहे होते हैं। किसान और मजदूरों ने उत्पादन को कम नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी भूख के साथ जीवन जीने वालों की संख्या उतनी की उतनी बनी रही। वास्तव में यह एक नीतिगत मामला है।

कई सालों तक एक न्यायिक पहल चली। देश के विभिन्न प्रदेशों में लगातार पड़ रहे अकाल एवं भूख से हो रही मौतों ने देश के संवेदनशील व्यक्तियों, जनसंगठनो, संस्थाओं को झकजोर दिया और एक मुहिम की शुरूआत हुई। अनेक पहलों, सर्वोच्च न्यायालय के दखल और संघर्षों के बाद आखिरकार 10 सितम्बर 2013 से भारत में "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून" लागू हुआ। इस क़ानून से लोगों को जो अधिकार मिले हैं, उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून में शामिल सभी कार्यक्रमों और योजनाओं की सामाजिक संपरीक्षा (अंकेक्षण) का प्रावधान किया गया है। इसके तहत लोग यानी समाज स्थानीय निकाय के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन की सामूहिक रूप से निगरानी और मूल्यांकन कर सकते हैं। मूलतः यह काम स्थानीय निकायों (ग्राम सभा / पंचायत / वार्ड सभा) द्वारा किया जाना है। सामाजिक अंकेक्षण का काम जवाबदेहिता, पारदर्शिता और मकसद के अनुरूप क़ानून के क्रियान्वयन के हिसाब से बहुत जरूरी है। क़ानून के इस प्रावधान का सही ढंग से संचालन हो, इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए भी यह प्रवेशिका उन्हें मदद करेगी।

अब खाद्य सुरक्षा लोगों की "जरूरत होने पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा" नहीं है। हमारी संसद के द्वारा क़ानून बना दिए जाने के बाद यह भारत के लोग, बच्चों और महिलाओं का अधिकार है। इसका मतलब यह भी है कि सरकार और सरकार के भीतर बनी हुई व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि क़ानून की मंशा के मुताबिक और जरूरत पड़ने पर उससे आगे बढ़ कर भारत में रहने वाले लोगों को उनके अधिकार उपलब्ध करवाए।

खाद्य सुरक्षा लोगों का अधिकार है और उसे उपलब्ध करवाना राज्य का बाध्यकारी कर्त्तव्य! अतः जरूरी है कि क़ानून के क्रियान्वयन के लिए व्यवस्था बने और जहाँ जरूरत है वहां व्यवस्था में हर तरह का सुधार हो। क़ानून के तहत अलग-अलग स्तरों पर व्यवस्था में जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से

परिभाषित हों। योजना बनाने से लेकर, संसाधन का आवंटन करने वालों, क्रियान्वयन करने वालों और शिकायत निवारण के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेयता सुनिश्चित हो।

इस प्रवेशिका के माध्यम से हम इन बिंदुओं को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे।

1. हमें यह मानना होगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत दर्ज सेवाएं भारत के लोगों के हक हैं और उन पर समझौता नहीं किया जायेगा। यह क़ानून तभी लोगों और समाज की स्थिति (भुखमरी और कुपोषण की स्थिति) में तभी बदलाव ला पायेगा, जब इसका अधिकार के नज़रिए से पालन होगा और इस तरह का पालन तब तक नहीं हो सकता, जब तक समाज इसकी निगरानी का काम नहीं करेगा।
2. इसलिए योजनाओं और हकों से जुडे सवाल करना और उनका जवाब पाना भी लोगों का हक है।
3. हम सबको सही जानकारी मिले।
4. सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया के जरिये क़ानून के सही क्रियान्वयन से हममे से हर व्यक्ति का जुड़ना जरूरी है। उस स्थिति का इन्तेज़ार नहीं करना है, जब हम शिकायत करते हैं।

इस प्रवेशिका में क्या है?

इस प्रवेशिका का मकसद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के अंतर्गत निम्न कुछ बातें स्पष्ट करना है –

१. सामाजिक संपरीक्षा क्या है?
२. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून क्या है और इसके तहत क्या-क्या प्रावधान हैं?
३. इस क़ानून में सामाजिक संपरीक्षा या आडिट के बारे में क्या कहा गया है?
४. इस क़ानून के तहत कौन-कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम शामिल हैं, उन कार्यक्रमों के तहत लोगों के क्या अधिकार हैं, उनका क्रियान्वयन कैसे होगा?
५. राज्य, जिला और गांव/समुदाय के स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किसकी क्या जिम्मेदारी हैं?
६. सामाजिक संपरीक्षा या अंकेक्षण के तहत क्या जांचा – परखा जायेगा?
७. सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी?
८. सामाजिक संपरीक्षा के उपकरण और तकनीकें क्या होंगी?

3. अवधारणाएं

खाद्य सुरक्षा, भोजन का अधिकार और पोषण की सुरक्षा के मतलब

खाद्य सुरक्षा - खाद्य सुरक्षा का मतलब है समाज के सभी नागरिकों के लिए जीवन चक्र में पूरे समय पर्याप्त मात्रा में ऐसे विविधतापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होना; यह भोजन सांस्कृतिक तौर पर सभी को मान्य हो और उन्हें हासिल करने के समुचित माध्यम गरिमामय हों। खाद्य सुरक्षा की इकाई देश भी हो सकता है, राज्य भी और गाँव भी। खाद्यान्न का खूब उत्पादन होने पर अनाज की उपलब्धता तो बढती है परन्तु यह जरूरी नहीं कि हर परिवार के पास भी भोजन की उपलब्धता होगी; जब तक कि उसके पास खाद्यान्न हासिल करने के साधन (जैसे रोज़गार या सामाजिक सुरक्षा या सरकारी योजना का संरक्षण) न हो। एक तरह से खाद्यान्न उत्पादन के साथ-साथ उसका सही और समान वितरण की व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी है।

भोजन का अधिकार - भोजन का अधिकार एक व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है। केवल अनाज से हमारी थाली पूरी नहीं बनती है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें विविधतापूर्ण भोजन (अनाज, दालें, खाने का तेल, सब्जियां, फल, अंडे, दूध, फलियाँ, गुड़ और कंदमूलों) की हर रोज़ जरूरत होती है ताकि कार्बोहायड्रेट, वसा, प्रोटीन, सुक्ष पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा किया जा सके। भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने में सरकार की सीधी भूमिका है क्योंकि अधिकारों का संरक्षण नीति बना कर ही किया जाता है और सरकार ही नीति बनाने की जिम्मेदारी निभाती है। यदि यह विविधता न हो तो हमारा पेट तो भर सकता है, परन्तु पोषण की जरूरत पूरी न हो पाएंगी। इसके लिए ही हमारी सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की दुकान से सस्ती दरों पर लोगों को उपलब्ध करवाती है। सामान्यतः केवल गरीबी ही भोजन के अधिकार को सीमित नहीं करती है; लैंगिक भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के कारण भी लोगों के भोजन के अधिकार का हनन हो सकता है। पीने के साफ़ पानी, स्वच्छता और सम्मान भी भोजन के अधिकार के हिस्से हैं।

बच्चों और महिलाओं के भोजन का अधिकार

समानता और सम्मानजनक व्यवहार एक बुनियादी शर्त है। जब रिश्ते बेहतर होते हैं तो समस्याओं को हल करना बहुत आसान हो जाता है। पोषण आहार कार्यक्रम को हम केवल आंगनवाड़ी केंद्र की चार-दीवारी के भीतर सीमित न करें। इसमे युवाओं, किशोरी बालिकाओं और पुरुषों को जिम्मेदारी के साथ जोड़ना बहुत उपयोगी होगा। आंगनवाड़ी के बच्चों और वहां आने वाली महिलाओं के हकों के सिलसिले में हमें इन 5 बातों पर जरूर काम करना चाहिए –

1. हर गर्भवती महिला को घर में थोड़े-थोडे समय के अंतराल से कुछ खाने को मिले। अनाज, दाल, फल, नारियल, मूंगफली आदि मिलना बहुत अच्छा होगा। यह उनका भोजन का अधिकार है।
2. जन्म के तुरंत बाद से नवजात शिशु को माँ का दूध मिले। यह उनका भोजन का अधिकार है।
3. 6 माह का होते ही मसली हुई दाल, खिचड़ी, नरम फल मिलें। यह उनका भोजन का अधिकार है।
4. 2 साल की उम्र होते ही पूरा खाना मिले। यह उनका भोजन का अधिकार है।

5. जब हम पूरा भोजन कहते हैं तो इसका मतलब है – हर रोज़ उनके भोजन की डलिया में अनाज, दाल, सब्जी, कोई भी एक स्थानीय फल, दूध या दूध से बनी कोई चीज़, खाने का तेल, गुड या शकर जरूर होना चाहिए। यदि हम इतना कर पाए तो पोषण युक्त भोजन का अधिकार सुरक्षित हो जाएगा।

पोषण की सुरक्षा – पोषण की सुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जब सभी लोग हर समय पर्याप्त और जरूरी मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन का वास्तव में उपभोग कर पाते हों। जीवन को सक्रीय और स्वस्थ रूप से जीने के लिए जरूरी इस भोजन में विभिन्नता, विविधता, पोषण तत्वों की मौजूदगी और सुरक्षा भी निहित हो। इसके साथ ही स्वच्छतापूर्ण पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी सुरक्षित वातावरण और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। ***(संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक)***

सही नीतियां बनाने और उनके क्रियान्वयन के मकसद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा और पोषण की अवधारणा को एक साथ उपयोग में लाया जाने लगा है। इन दोनों को एक साथ रखने के पीछे का मकसद यह है कि खाद्य सुरक्षा और पोषण एक दूसरे से जुड़ी हुई अवस्थाएं और जरूरतें हैं, इन्हें अलग-अलग करके देखा और लागू नहीं किया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा का मतलब

खाद्य सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें सभी को सम्मानजनक तरीके से भरपेट पौष्टिक भोजन, साफ पानी, पर्याप्त उत्पादन, जन साधारण की क्रय शक्ति बढ़ाना आदि कारण शामिल है।

देश के हर व्यक्ति को उसके जीवन चक्र में पूरे समय पर्याप्त मात्रा में ऐसे विविधता पूर्ण भोजन की पहुंच सुनिश्चित होना, जिसमें कार्बोहाईड्रेड, प्रोटीन, वसा, सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद हों। इन तत्वों की आपूर्ति अलग-अलग तरह के अनाजों, दालों, तेल, दूध, अण्डे, सब्जियों और फलों से होती हैं, इसलिए इनकी उपलब्धता के साथ ही ऐसी परिस्थितियां भी बननी चाहिए कि लोग इन्हें आसानी से खरीद सकें। इसी संदर्भ में साफ पेयजल की उपलब्धता भी जरूरी है।

दूसरे शब्दों में खाद्य सुरक्षा का अर्थ है: समाज में हर समय सभी लोगों को समुचित मात्रा में पर्याप्त संतुलित भोजन भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से उपलब्ध हो। खाद्य सुरक्षा के मुख्य रूप से तीन पहलू होते हैं - भोजन की उपलब्धता, भोजन तक पहुंच एवं भोजन का उपयोग।

भोजन की उपलब्धता

भोजन की उपलब्धता का मतलब होता है कि देश में सभी लोगों के लिए पौष्टिक भोजन के जरूरी तत्वों/सामग्री - जैसे अनाज, दालें, तेल, सब्जी, दूध आदि का उत्पादन हो रहा है। इनके भंडारण, निर्यात, दुरूपयोग आदि का उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बात चाहे अनाज के गोदामों में सड़ने की हो, फल-सब्जियों के खराब होने या खाने के सामान का निर्यात करने की या फिर संपन्न तबके द्वारा भोजन को बर्बाद करने की, ऐसा होने पर भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है। देश के हर कोने में सभी जरूरतमंदों को भोजन तभी उपलब्ध होगा, जब खाद्य पदार्थों का वितरण तंत्र मजबूत हो।

भोजन तक पहुंच

इसका मतलब सभी लोगों तक भोजन की पहुंच सुनिश्चित करना है, यह तभी होगा, जब इन बातों पर अमल हो।

अ. **सबको भोजन** - हरेक को जन्म से पहले गर्भ में और उसके बाद भी मृत्यु तक आवश्यकता के अनुसार हमेशा पर्याप्त पौष्टिक भोजन मिले।

ब. **हर समय और हर जगह भोजन** - हर परिस्थिति में, हर समय और हर जगह पर - शहर, गांव, कस्बा, मोहल्ला, सड़क, फुटपाथ पर व्यक्ति को सम्मानजनक तरीके से भोजन उपलब्ध हो।

स. **पर्याप्त भोजन मिले** - एक व्यक्ति को जिन्दा रहने के लिए रोज कम से कम 1500 कैलोरी ऊर्जा देने वाला भोजन चाहिये। स्वस्थ पोषण के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार कार्य की विभिन्न परिस्थितियों में एक वयस्क व्यक्ति के 1875 - 3800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इतना भोजन आवश्यक रूप से मिलना चाहिए।

द. **संतुलित भोजन** - संतुलित भोजन में ऊर्जा (कैलोरी) के तीन स्रोत होते है:

प्रोटीन - एक ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऐसे में कुल भोजन का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन मुख्यतः दालों, अण्डा और मांस से मिलता है।

कार्बोहाइड्रेट - एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कुल भोजन का 40 से 45 प्रतिशत हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः अनाज, खासकर मोटे अनाज से प्राप्त होता है।

वसा - 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कुल भोजन का 30 से 35 प्रतिशत हिस्सा वसा से आना चाहिए। भोजन में वसा मुख्यतः घी एवं तेल से प्राप्त होता है।

पौष्टिक भोजन के लिए ऊर्जा के उपरोक्त तीन स्रोतों के अतिरिक्त विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, आयरन, सोडियम एवं पोटेशियम आदि की भी जरूरत है। इनके अभाव में भोजन पौष्टिक नहीं रहता। ये तत्व दूध, दही, सब्जियों एवं फलों से मिलते हैं।

य. **सुरक्षित भोजन** : भोजन का सुरक्षित होना भी जरूरी है। भोजन सुरक्षित न हो तो बीमारियां घेर लेती हैं, मृत्यु तक हो सकती है। सुरक्षित भोजन का मतलब है कि इसमें किसी भी तरह की मिलावट न हो। वर्तमान में जीनांतरित (जीएम) भोजन सामग्री के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है।

भोजन का उपयोग (अवशोषण के संदर्भ में) :

भोजन के उपयोग का मतलब है कि जो खाना खाया जा रहा है, उसे शरीर पचा पा रहा है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति को भोजन पचता नहीं है तो भोजन की उपयोगिता नहीं रह जाती है। वह कुपोषण का शिकार हो सकता है। अतः व्यक्ति का स्वास्थ्य ऐसा हो कि वह भोजन को पचा सके। इसके लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, साफ पीने का पानी और आसपास साफ-सफाई की न्यूनतम आवश्यकता है।

खाद्य सुरक्षा के मायने

- वर्ष 2001 खाद्य एवं कृषि संगठन ने परिभाषा को स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा की स्थिति तभी होती है जब हर व्यक्ति को हर समय परिस्थिति के मुताबिक सक्रीय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक और उनकी प्राथमिकता वाले भोजन तक

भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पंहुच सुनिश्चित हो। {FAO. 2002. The State of Food Insecurity in the World 2001. Rome. (अनुवाद)}

- आज ज्यादा जोर उपभोग, मांग और वंचित तबकों की भोजन तक पंहुच से जुडे पक्षों पर है। इसे प्रोफ़ेसर अमर्त्य सेन ने अपने अध्ययनों से बहुत साफ़ किया है. वे खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में व्यक्ति और परिवार के भोजन के हकों पर ज्यादा जोर देते हैं। {Sen, A. 1981. *Poverty and Famines.* Oxford: Clarendon Press. (अनुवाद)}

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के हक को इंसान का मूलभूत अधिकार बताया गया है। इसके अनुसार - "कानून की किसी अपवादस्वरूप प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।" {मौलिक अधिकार, भारत का संविधान}
    - *(सवाल यह है कि क्या भरपेट भोजन, जिसमें पर्याप्त पोषण न हो और जो गुणवत्तापूर्ण न हो, के बिना जीवन का मौलिक अधिकार हासिल कर पाना संभव है?)*

- संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि "सरकार को छह साल की उम्र तक के सभी बच्चों की बाल्यकाल से जुडी सारी देख-रेख और शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की जवाबदेही निभानी होगी।" (स्रोत-नीति निर्देशक तत्व, भारत का संविधान)

- अनुच्छेद 47 कहता है - "अपने नागरिकों का पोषण-स्तर व उनका जीवन स्तर सुधारना तथा जन-स्वास्थ्य की बेहतरी को सरकार अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगी। उसकी जिम्मेदारी चिकित्सकीय उद्देश्यों के अलावा, ऐसे नशीले पदार्थों व औषधियों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने की भी होगी, जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं।" (स्रोत-नीति निर्देशक तत्त्व, भारत का संविधान)

भारत की न्यायपालिका

"न्यायालय इस बात को लेकर चिन्तित है कि समाज के निर्धन व बेसहारा व कमजोर तबके भूख व भुखमरी से न पीडित रहें। भूख और भुखमरी को रोकना सरकार - केन्द्र व राज्य, दोनों की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। अब यह सब कैसे सुनिश्चित हो, एक नीतिगत मसला है, जिसे सरकार को सुलझाना होगा। न्यायालय तो यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकारी गोदामों में भरा पड़ा अनाज न तो समुद्र में फिंके और न ही चूहों का भोजन बने। बिना क्रियान्वयन के नीतियां निरर्थक हैं। महत्वपूर्ण यह है कि खाद्यान्न उन लोगों तक पहुंचे जो भूख और भुखमरी के शिकार हैं।"

(पी.यू.सी.एल. बनाम भारत सरकार व अन्य के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय; प्रकरण रिट पिटीशन 196/2001)

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के मुख्य प्रावधान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का आधार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून की प्रस्तावना में लिखा गया है कि- *"खाद्य सुरक्षा कानून मानव जीवन चक्र पर आधारित है। इसका उद्देश्य लोगों को जीवन जीने के लिए उस कीमत पर, जो उनके सामर्थ्य में हो, पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन व पोषण सुरक्षा देना है, ताकि लोग सम्मान एवं गरिमा के साथ जीवनयापन कर सकें।"*

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का महत्व

1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 10 सितम्बर 2013 को लागू किया गया। यह पूरे भारत पर लागू होता है।

2 इस कानून के जरिये खाद्य सुरक्षा अब एक कानूनी अधिकार बन गयी है।

3 इस कानून के जरिये गरीबी की रेखा से बुना गया महीन जाल एक हद तक टूटा है। पहले कोशिश यह थी कि केवल गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ही इस कानून के दायरे में लाया जाए। यदि ऐसा होता तो आज के आंकड़ों के मुताबिक केवल 22 फीसदी लोग ही इस कानून के हिसाब से हकदार होते। जिस रूप में कानून अब हमारे सामने है, उसमे 67 फीसदी जनसँख्या को खाद्य सुरक्षा का हक है। छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आंगनवाड़ी से पोषण आहार पाने का हक है। जबकि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों, जो सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में पढते हैं, को मध्यान्ह भोजन योजना के तहत भोजन का हक मिलेगा।

4 देश की ग्रामीण क्षेत्रों की 75 फीसदी और शहरी क्षेत्रों की 50 फीसदी जनसँख्या इस कानून के तहत हकदार है।

5 यदि सरकार राशन नहीं दे पायी, तो राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा भत्ता देने के लिए बाध्य होगी।

6 केंद्र सरकार अनाज का आवंटन करेगी।

7 राशन की दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी पंचायतों, स्वयं सेवी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, महिलाओं के समूह को दिए जाने की बात है।

8 इस कानून के तहत परिवार के हर सदस्य को हर माह 5 किलो सस्ता राशन मिलेगा।

9 अन्त्योदय श्रेणी के तहत हक धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा।

10 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ढांचागत और बुनियादी बदलाव लाने के लिए पारदर्शिता, कम्प्यूटरीकरण और जन सहभागिता की बात इसमे है।

11 कानून के मुताबिक राशन कार्ड परिवार की वरिष्ठ महिला या 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिला सदस्य के नाम से बनेगा।

12 राशन की दुकान से लेकर राज्य स्तर तक सतर्कता समितियां बनेंगी।

13 जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकार होगा।

14 राज्य स्तर पर राज्य खाद्य आयोग का गठन होगा, जो आर्थिक दंड लगाकर अन्य कार्यवाहियां कर सकेगा।

15 अब तक पीडीएस से केवल गेहूं और चावल मिलता था। नये कानून के हिसाब से मोटे अनाज (मिलेट्स) भी मिलेंगे।

16 मध्यान्ह भोजन योजना भी अब कानूनी कार्यक्रम है।

17 एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम परियोजना (आईसीडीएस) का पोषण आहार कार्यक्रम भी अब कानूनी कार्यक्रम है यानी पोषण बच्चों का अधिकार है।

18 मातृत्व हक भी कानूनी हक है। इस कानून के मुताबिक गर्भवती-धात्री महिलाओं को 6000 रूपए की आर्थिक सहायता पाने का हक होगा।

19 इस कानून में खेती की व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाने की बात कही गयी है। हांलाकि इसे कानून के मुख्य हिस्से में न लिख कर अनुसूची (3) में लिखा गया है।

20 किशोरी बालिकाओं के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के हक के बारे में मुख्य कानून में प्रावधान नहीं है। इनका जिक्र अनुसूची में है।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हमारी हकदारियां

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हमारी चार प्रकार की हकदारियां हैं -

1. राशन दुकान से अनाज

क. प्राथमिकता वाले परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने सस्ती कीमत (चावल 3 रु. किलो, गेहूं 2 रु. किलो, बारीक अनाज 1 रु. किलो) पर 5 किलो अनाज राशन दुकान से उपलब्ध कराया जायेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चावल, गेहूं एवं बारीक अनाज 1 रु किलो ही दिया जायेगा.

ख. अन्त्योदय परिवारों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह इसी दर पर उपलब्ध होगा।

2. एकीकृत बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम – पोषण का हक

क. प्रत्येक गर्भवती महिला एवं धात्री माताओं को गर्भधारण के समय से लेकर बच्चे के जन्म के 6 माह तक आंगनवाड़ी से घर ले जाने के लिए 600 कैलोरी व 18-20 ग्राम प्रोटीनयुक्त पूरक पोषाहार दिया जायेगा।

ख. 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को घर ले जाने के लिए 500 कैलोरी व 12-15 ग्राम प्रोटीनयुक्त पूरक पोषाहार दिया जायेगा।

ग. 3-6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र पर 500 कैलोरी व 12-15 ग्राम प्रोटीनयुक्त नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन दिया जायेगा।

घ. आंगनवाड़ी द्वारा संबंधित क्षेत्र में कुपोषित बच्चों की पहचान की जायेगी।

ङ. कुपोषित बच्चों को घर ले जाने के लिए 800 कैलोरी व 20-25 ग्राम प्रोटीनयुक्त पूरक पोषाहार दिया जायेगा।

च. प्रत्येक आंगनवाड़ी में रसोईघर की सुविधा होगी और पीने का स्वच्छ पानी एवं शौचालय उपलब्ध करवाया जायेगा।

3. स्कूलों में मध्यान्ह भोजन

क. सभी सरकारी/स्थानीय निकायों/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीनयुक्त भोजन, कक्षा 6 से 8 कक्षा तक के बच्चों को 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीनयुक्त गर्म पका भोजन स्कूल में छुट्टी के दिनों को छोड़कर हर रोज मुफ्त दिया जायेगा।

ख. प्रत्येक स्कूल में रसोईघर, पीने का साफ पानी, शौचालय उपलब्ध करवाया जाएगा।

ग. जरूरत पड़ने पर शहरी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के मापदंडों पर केन्द्रीयकृत रसोई से मध्यान्ह भोजन दिया जा सकता है।

4. प्रधानमन्त्री मातृत्व वंदना योजना – मातृत्व हक

क. गर्भवती/धात्री महिलाओं को मातृत्व लाभ; मातृत्व लाभ के रूप में हर गर्भवती/धात्री महिला को कम से कम 6000 रु. का अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गयी योजना के तहत दिया जायेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत वंचित तबकों को कैसे योजना से जोड़ें?

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सबसे वंचित वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार मिलना बेहद महत्वपूर्ण है. अतः हमें यह देखना होगा कि राशन व्यवस्था में सबसे वंचित लोग और परिवार (एकल महिलायें, सामाजिक भेदभाव से जूझने वाले लोग, जैसे–पारधी, बेघर और कचरा साफ़ करने वाले लोग) इसमे शामिल हुए हैं या नहीं. नियमित रूप से उन्हे गुणवत्तापूर्ण राशन पूरी मात्रा में मिल रहा है या नहीं; राशन पाने के लिए उन्हे बहुत दूरी तो तय नहीं करना पड़ती है, उनके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं होता है; बिना भेदभाव के सभी को राशन मिल रहा है या नहीं, हमें यह भी देखना होगा कि जो परिवार पलायन करते हैं, उन्हें वापस आने पर अपने हक का राशन मिल सके; खाद्य सुरक्षा का हक उन्हें सम्मान के साथ मिले और व्यवस्था में जवाबदेहिता तय हो.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत शिकायत निवारण व्यवस्था

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत शिकायतों के निवारण की राज्य से पंचायत के स्तर तक व्यवस्था बनायीं गई है ताकि इस कानून के तहत मिलने वाले हकों के संबंध में शिकायतों का निपटारा ठीक ढंग से किया जा सके.

आंतरिक शिकायत व्यवस्था

राज्य सरकार शिकायत निवारण और निगरानी के लिए हेल्प लाइन, नोडल अधिकारी की नियुक्ति करके आंतरिक शिकायत निवारण की व्यवस्था बनाएगी। जिला स्तर पर निम्न अधिकारी नोडल अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपने संबंधित क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत कार्य करते हैं. जिला स्तर पर मुख्या कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में शिकायतों का निराकरण करेंगे. कोई भी व्यक्ति लिखित में या ईमेल या फोन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है. नोडल अधिकारी शिकायत प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर शिकायतों का निराकरण करेंगे.

बाह्य शिकायत व्यवस्था

जिला स्तर पर व्यवस्था

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है। मध्यप्रदेश में जिला कलेक्टर जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा। वे शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायत का निराकरण करेंगे।

शिकायत दर्ज होना – कोई भी पीड़ित व्यक्ति लिखित में अथवा ई-मेल या जिला शिकायत निवारण अधिकारी के यहाँ स्थापित शिकायत पेटी में अपनी लिखित शिकायत डाल सकता है. शिकायतकर्ता

को अपनी जानकारी आर संपर्क अनिवार्य रूप से देनी होगी. शिकायतकर्ता को एक पावती दी जायगी. प्रत्येक शिकायत को दिनाक सहित एक विशिष्ट शिकायत क्रमांक आवंटित किया जाएगा.

शिकायतों के निपटने की प्रक्रिया

जिला शिकायत निवारण अधिकारी संबंधित अधिकारी अथवा अभिकरण से दस्तावेजों सहित स्पष्टीकरण मागेगा. पंद्रह दिवस के भीतर दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएगे स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत का निराकरण करेगा. यदि आगे जाँच किए जाने की आवश्यकता है तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी जिला स्तर पर किसी उपयुक्त अधिकारी से प्रकरण की जाँच करा सकेगा. शिकायतकर्ता एवं शिकायत से संबंधित अधिकारी/ व्यक्ति / अभिकरण को किसी नियत तिथि पर अपना पक्ष रखने के लिए भी बुला सकते हैं, सुनवाई हेतु नियत तारीख पर यदि शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहता है तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी, शिकायत को निरस्त कर सकता है.

लेकिन यदि शिकायत से संबंधित अधिकारी व्यक्ति/अभिकरण अनुपस्थित रहता है तो वह मामले की जाँच के लिए एक पक्षित कार्यवाही कर सकता है . शिकायतों की जाँच करते समय जिला शिकायत निवारण अधिकारी मैदानी स्तर के किसी अधिकारी /व्यक्ति से केस से सम्बंधित जानकारी दस्तावेजों की मांग कर सकता है अगर जाँच रिपोर्ट मंगाई जाती है तो शिकायत की प्राप्ति से पैतालीस दिवस के भीतर इसका निपटारा किया जाना जरूरी है.एक माह में शिकायत का निवारण होगा। शिकायतकर्ता को सुनवाई में शामिल किया जाएगा।

अपील: यदि शिकायतकर्ता निर्णय से असंतुष्ट तो 30 दिन के भीतर राज्य खाद्य आयोग के समक्ष अपील कर सकता है

टोल फ्री नंबर – मध्यप्रदेश में शिकायत करने के लिए एक टोल फ्री नंबर (जिसे लगाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।) 1967 तय किया है।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत निगरानी व्यवस्था – सतर्कता समितियां

कानून बन जाने व लागु हो जाने से खाद्य सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होने में मदद मिलेगी पर इसे निरंतर रूप से पूरी गुणवत्ता के साथ बनाये रखना एक बड़ी चुनौती है. अतः क़ानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य, जिला, विकासखंड और राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति बनाये जाने का प्रावधान है, ताकि गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके व लोगों खाद्य व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. मध्य प्रदेश में हर स्तर पर सतर्कता समितियां बनायीं गयी हैं. यह सभी योजनाओं की निगरानी और कोई भी समस्या या शिकायत होने पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी या राज्य खाद्य आयोग को अवगत कराने की जिम्मेदारी निभाएगी।

राज्य सतर्कता समिति

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राज्य स्तर पर सतत निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर सतर्कता समितियों का प्रावधान किया है ताकि राज्य स्तर पर कानून के तहत निर्धारित सुबिधाओं व सेवाओं की देखरेख हो सके. इस समिति की संरचना व स्वरुप निम्न है -

- अध्यक्ष – मंत्री (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश सरकार)
- सदस्य – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग के आयुक्त, महिला और बाल विकास विभाग के आयुक्त, स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन और राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक, मध्यान्ह भोजन योजना के संचालक और सर्वोच्च न्यायालय आयुक्तों के राज्य सलाहकार
- सचिव – आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
- समिति की बैठक हर तीन माह में एक बार होगी।

जिला सतर्कता समिति

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जिला स्तर पर सतत निगरानी करने के लिए जिला स्तर पर सतर्कता समितियों का प्रावधान किया है ताकि राज्य स्तर पर कानून के तहत निर्धारित सुबिधाओं व सेवाओं की देखरेख हो सके. इस समिति की संरचना व स्वरुप निम्न है -

- अध्यक्ष - प्रभारी मंत्री द्वारा मनोनीत जिले के अनुसूचित जाति / जनजाति / महिला विधायक
- सदस्य – आयुक्त, नगर पालिका निगम, जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, उपायुक्त, सहकारी समिति, परियोजना अधिकारी, शहरी अभिकरण, उपनियंत्रक, विधिक माप, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मुख्यालय की खाद्य समिति के अध्यक्ष, राज्य सलाहकार द्वारा मनोनीत दो सदस्य,

जिनमें से एक महिला होगी।

- सचिव – जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अपर कलेक्टर, जिसके पार जिला शिकायत निवारण अधिकारी के काम का दायित्व न हो।
- समिति की बैठक हर दो माह में एक बार होगी।

विकास खंड सतर्कता समिति

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राज्य स्तर पर सतत निगरानी करने के लिए जनपद स्तर पर सतर्कता समितियों का प्रावधान किया है ताकि जनपद स्तर पर कानून के तहत निर्धारित सुबिधाओं व सेवाओं की देखरेख हो सके. इस समिति की संरचना व स्वरुप निम्न है -

- अध्यक्ष - जनपद पंचायत अध्यक्ष
- सदस्य - विकासखंड नगरपालिका / नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी, जनपद पंचायत की खाद्य समिति के अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष द्वारा नामित दो महिला सरपंच, इस क़ानून के चार पात्र व्यक्ति, जिनमें से 2 अन्त्योदय के हितग्राही होंगे। उपभोक्ता समिति / अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामित दो प्रतिनिधि। स्वैच्छिक / संगठन या उपभोक्ता संगठन द्वारा नामित एक महिला सदस्य।
- सचिव - जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी
- समिति की बैठक हर माह में एक बार होगी।

उचित मूल्य दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति

उचित मूल्य की दुकान के स्तर पर एक समिति होगी. समिति सदस्यों का चयन ग्रामसभा में होगा यानि सदस्यों के नामों हेतु ग्रामसभा में प्रस्ताव रखा जायेगा व अनुमोदन लेना होगा. चयनित सदस्यों की सूची, ग्राम सभा के अनुमोदन, सरपंच द्वारा नामांकित प्रतिनिधियों के पत्र, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव आदि के साथ सदस्य सचिव द्वारा इसे सहायक आपूर्ति अधिकारी को भेजा जायेगा. इन समितियों में निम्न सदस्य होंगे –

उचित मूल्य दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति का गठन

समिति का गठन	ग्रामीण क्षेत्र	नगरीय क्षेत्र
अध्यक्ष	ग्राम पंचायत सरपंच – जहाँ उचित मूल्य की दुकान संचालित है	उस वार्ड के पार्षद, जहाँ दुकान है।
सह-अध्यक्ष	यदि दुकान से दो पंचायतों के लोगों को राशन मिलता है, तो दूसरी पंचायत के सरपंच समिति के सह-अध्यक्ष होंगे।	यदि दुकान एक से ज्यादा वार्ड कवर करती है, तो दूसरे वार्ड के पार्षद समिति के सह-अध्यक्ष होंगे।
सदस्य	अनुसूचित जाति, जनजाति,	अनुसूचित जाति, जनजाति, निःशक्त

	निःशक्त श्रेणी, अन्त्योदय के हितग्राही के एक-एक और प्राथमिक श्रेणी के 4 हितग्राही यानी कुल 8 हितग्राही होंगे, जिनमें से 4 महिलायें होंगी. इसके अलावा सरपंच द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि होंगें.	श्रेणी के एक बीपीएल राशनकार्ड धारी, अन्त्योदय के एक हितग्राही और प्राथमिक श्रेणी के 4 सदस्य यानी कुल 8 हितग्राही होंगे, जिनमें से 4 महिलायें (50 प्रतिशत) होंगी इसके अलावा वार्ड पार्षद द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि होंगें.
सचिव	सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव	वार्ड का प्राधिकृत अधिकारी

समिति के गठन में सभी ग्राम सभा/नगरीय क्षेत्र में वार्ड का प्रतिनिधित्व होगा. सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा होगा. ग्राम पंचायत सचिव इन नामों को सहायक/कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी को सौपेगा. ये अधिकारी इन नामों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सौपेगा और वो वेबसाइट में उपलोड करेगें. समिति की हर माह बैठक होगी

समिति का कार्यकाल

समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक रहेगा लेकिन चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल उनकी निर्वाचन अवधि तक ही होगा. यदि कोई सदस्य उस श्रेणी से अपात्र हो जाता है अथवा अन्य कहीं चला जाता है या मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर नवीन सदस्य को नामांकित करके संशोधित आदेश जारी किये जायेंगे.

समिति की बैठक

सतर्कता समिति की हर माह बैठक आयोजित कि जायेगी. बैठक आयोजन की सूचना सदस्य सचिव द्वारा सूचना पत्र एवं एसएमएस द्वारा सदस्यों को दी जायेगी.

- यथासंभव इस बैठक का आयोजन मंगलवार को किया जायेगा ताकि इसी दिन आंगनबाड़ी में वितरित किये जाने वाले टेकहोम राशन का पर्यवेक्षण भी सदस्यों द्वारा हो सके.
- बैठक में कम से कम एक तिहाई सदस्यों को होना आवश्यक है.
- यदि समिति उचित समझती है तो ग्राम स्तरीय कर्मचारी – आंगनबाडी कार्यकर्ता, उचित मूल्य की दुकान विक्रेता, स्व-सहायता समूह अध्यक्ष,
- बैठक की कार्यवाही का विवरण सचिव द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसार लिखी जायगी एवं इसे सहायक आपूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा. सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा इस जानकारी को साफ्टवेयर पर दर्ज किया जायेगा.
- सतर्कता समितियों की बैठक तथा पर्यवेक्षण में पाए गए बिंदुओं पर कार्रवाई कर प्रत्येक आगामी बैठकों में पालन प्रतिवेदन सदस्य सचिव (ग्राम पंचायत सचिव) द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा.

सतर्कता समिति को उपलब्ध करायी जाने वाली जानकारी

- राज्य शासन द्वारा जैसे ही आवंटन आदेश जारी होता है स्वतः एस एम् एस द्वारा जानकारी समिति सदस्यों को पहुँच जायेगी.
- मध्यप्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा खाद्यान्न भेजने के लिए वाहन रवाना होते ही खाद्यान्न की मात्रा एवं वाहन नंबर समिति सदस्यों को भेजी जायेगी.
- आंगनवाड़ी द्वारा टेकहोम राशन तथा पोषण आहार दिये जाने वाले आवंटन की जानकारी समिति सदस्य व सचिव को दी जायेगी.

समिति के कार्य

- खाद्य सुरक्षा कानून के तहत शामिल योजनाओं का नियमित पर्यवेक्षण
- अधिनियम के क्रियान्वयन में अनिमितताओं के सम्बन्ध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना.
- ये समितियां योजनाओं का पर्यवेक्षण करेंगी और यदि ये समिति पाती है की कहीं क़ानून के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या गबन की जानकारी मिलती है तो शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करेंगी।

पर्यवेक्षण के बिंदु

- लक्षित सार्वजानिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार
- गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए आंगनबाडी के माध्यम से दिये जाने वाले निशुल्क भोजन से पोषण समर्थन
- मातृत्व लाभ सहायता
- स्थानीय आंगनबाडी के माध्यम से पोषाहार का समर्थन
- शालाओं के माध्यम से बच्चों को दिये जाने वाले मध्यान्ह पोषाहार का समर्थन
- बाल कुपोषण की रोकथाम और प्रबंधन हेतु चिन्हित कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त भोजन की योजना
- भोजन का अधिकार न मिलने पर खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवारों का सही चिन्नाहंकन
- राशनकार्ड में मुखिया के रूप में महिलाओं के नाम के इन्द्राज की व्यवस्था

राज्य खाद्य आयोग

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बनायीं गयी व्यवस्था की निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी.

क इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे।

ख इनमें दो महिलाएं, एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य अनिवार्य रूप से होंगे।

ग इसमें एक सदस्य सचिव होगा जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी होगा.

घ अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अखिल भारतीय सेवाओं या राज्य सिविल सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों जो कृषि, पोषण, स्वास्थ्य, सिविल आपूर्ति, संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में अनुभव प्राप्त हों, में से की जायगी. जो सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति हों जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाजसेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान व अनुभव प्राप्त हो. जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणित रिकार्ड है.

ङ अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य जिस् दिन से अपना पद ग्रहण करता है, उस दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा. पर कोई भी अध्यक्ष या सदस्य 65 वर्ष कि आयु पूर्ण करने के बाद पद पर नहीं बना रह सकेगा. राज्य सरकार किसी सदस्य को हटा सकेगी जो दिवालिया हो, शारीरिक व

मानसिक रूप से अक्षम हो, वित्तीय हित अर्जित किया हो, पद का दुरुपयोग किया हो, किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया हो जिसे राज्य सरकार द्वारा निम्न स्तरीय माना जाता है.

आयोग के अधिकार एवं कर्तव्य

- मध्यप्रदेश में अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन करना
- खाद्य सुरक्षा कानून के तहत शामिल योजनाओं की हकदारियों के उल्लंघन के मामले में स्वप्रेरणा से अथवा शिकायत प्राप्त होने पर जाँच करना
- खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना
- लोगों को अधिनियम के तहत प्राप्त हकों को प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य एवं पोषण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार, सुसंगत सेवाओं से जुड़े अभिकरण, स्वायत्त निकाय, गैर सरकारी संस्थाओं को सलाह देना.
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशो के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना
- वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.
- शिकायत अथवा जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक या किसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से सदस्य सचिव को संबोधित करते हुए की जा सकती है

टोल फ्री नंबर - मध्यप्रदेश में शिकायत करने के लिए एक टोल फ्री नंबर (जिसे लगाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।) 1967 तय किया है.

5. कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब

सवाल - खाद्य सुरक्षा कानून का फैलाव कहां तक है और यह कब से लागू होगा?

1. यह कानून पूरे देश में 9 सितम्बर 2013 से लागु हो गया है।
2. कानून के तहत 2011 की जनगणना पर आधारित देश की 67 प्रतिशत जनसँख्या को अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें 75 प्रतिशत ग्रामीण एवं 50 प्रतिशत शहरी आबादी शामिल है। यह प्रतिशत हर राज्य में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में वंचितपन के स्तर के अनुसार भिन्न-भिन्न होगा। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 80 प्रतिशत व नगरीय क्षेत्र में 63 प्रतिशत जनसँख्या इस कानून के तहत शामिल है.
3. कानून के दायरे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित अनाज व आंगनवाड़ी के माध्यम से पूरक पोषाहार एवं स्कूलों में मध्यान्ह भोजन भी शामिल हैं।
4. मातृत्व लाभ को भी इसके दायरे में लाया गया है।
5. इस कानून में लाभार्थियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है - अन्त्योदय एवं प्राथमिक।
6. प्राथमिक परिवारों का चयन कानून के लागू होने के 365 दिन के अन्दर पूरा करना है। अर्थात हर राज्य में 9 सितम्बर 2014 तक चयन प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए।

सवाल - क्या इस क़ानून में बदलाव/सुधार की भी कोई बात है ताकि योजना का प्रभाव ज्यादा हो?

जी हाँ! इस क़ानून में यह कहा गया है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार / बदलाव के लिए व्यापक काम करेगी ताकि अनाज का भ्रष्टाचार ख़त्म हो और लोगों के अधिकारों का हनन न हो। इसके साथ ही हर योजना को पारदर्शी बनाने, लोगों को हर जानकारी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कुल मिला कर व्यवस्था में बदलाव के लिए निर्देश स्पष्ट हैं।

सरकार सुधार के लिए कम्प्यूटरीकरण करेगी, सभी हितग्राहियों की सूची वेबसाईट पर डालेगी, हर हितग्राही को उसके हक़ मिले हैं कि नहीं, यह जानकारी भी खुली होगी। राशन की दुकानें चलाने और उनका प्रबंधन करने में पंचायतों / स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, महिला समूहों की मुख्य भूमिका होगी। सरकार अब अनाज को खुद राशन की दुकान तक पंहुचाएगी।

जहाँ अनाज का भण्डारण होता है, उसे भी वैज्ञानिक और सुरक्षित बनाया जाएगा। अनाज का भण्डारण विकासखंड यानी ब्लाक के स्तर पर किये जाने की व्यवस्था है।

सवाल - क्या इस क़ानून में सामाजिक संपरीक्षा या जन निगरानी की कोई व्यवस्था है?

अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून 2013 भी लागू हो गया है। यह क़ानून ***"जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण सम्बन्धी सुरक्षा और उससे सम्बंधित या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए"*** लागू किया गया है।

हमारे लिए यह क़ानून दो नज़रियों से महत्वपूर्ण है –

क. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ साथ मध्यान्ह भोजन, मातृत्व हक और एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के पोषण आहार वाले हिस्से को भी इस क़ानून में शामिल किया गया है।

ख. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून 2013 में सामाजिक संपरीक्षा (सामाजिक संकेक्षण) का प्रावधान किया गया है।

इस क़ानून में सामाजिक संपरीक्षा (सोशल आडिट) के सन्दर्भ में दो महत्वपूर्ण उल्लेख हैं –

1. **"सामाजिक संपरीक्षा से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और कार्यान्वयन की सामूहिक रूप से निगरानी और उसका मूल्यांकन करती है।" - अध्याय 1 (20)**
2. **प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के सम्बन्ध में समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा।**

इन दोनों बिंदुओं का अध्ययन करने से समझ आता है कि आंगनवाड़ी के जरिये संचालित होने वाला पोषण आहार कार्यक्रम, कुपोषित बच्चों की पहचान का काम और मातृत्व हक सामाजिक संपरीक्षा (सोशल आडिट) के प्रावधान के तहत आते हैं।

यह काम स्थानीय निकाय करेंगे। अब हमें यह देखना है कि इस क़ानून में महिलाओं और बच्चों को क्या-क्या हक मिले हैं?

सवाल - कानून के तहत महिला सशक्तीकरण के लिए क्या प्रावधान किया गया है?

जवाब – इस कानून के लागु होने के बाद से अब राशन कार्ड पर परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला (18 वर्ष से ऊपर की) का नाम परिवार की मुखिया के रूप में दर्ज किया जायेगा यानि अब राशन कार्ड महिलाओं के नाम से ही बनेंगे.

सवाल – खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पंचायत राज संस्थाओं की क्या भूमिका बनायीं गयी है?

जवाब – इस कानून के पंचायत राज संस्थाओं की मुख्य जिम्मेवारी बनायीं गयी है. यह संस्थाएं अपने क्षेत्र में कानून के तहत बनायीं गयी व्यवस्था के अनुरूप कानून को प्रभावी रूप से लागु करेंगी यानि कानून के तहत पात्रता सूची बनाने से लेकर कानून के तहत शामिल योजनाओं से पात्र व जरूरतमंद लोगों को जोड़ने, उस पर सतत रूप से नजर रखने, योजना के मूल्यांकन व सामाजिक संपरीक्षा में अहम भूमिका होगी.

सवाल – इस कानून के तहत मातृत्व लाभ (मातृत्व हक) के तहत कैसे लाभ प्राप्त होगा?

जवाब – इस कानून में मातृत्व लाभ हेतु प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पात्र महिलाओं को जोड़ा जायेगा ताकि उन्हें मातृत्व योजना के तहत निर्धारित रु 5000 प्रसव सहायता रु 1000 राशि एवं अन्य हक प्राप्त हो सके.

सवाल – ये तो अलग-अलग विभागों के तहत आने वाले अधिकार हैं; क्या हर विभाग इस क़ानून को लागू करेगा?

जवाब – बिलकुल सही ! इसे हम यूँ देख सकते हैं –

- ✓ **खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग** – क़ानून के तहत केन्द्रीय और समन्वयक विभाग/राशन प्रणाली का संचालन भी यही करेगा।
- ✓ **महिला और बाल विकास विभाग** – यह विभाग बच्चों और महिलाओं के पोषण आहार से सम्बंधित योजना के लिए जिम्मेदार है। साथ ही मातृत्व हक़ भी इसी विभाग के अंतर्गत हैं।
- ✓ **लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग** – स्तनपान को बढ़ावा देने, कुपोषित बच्चों की पहचान और मातृत्व हक में इस विभाग की भूमिका है।
- ✓ **पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन विभाग** – मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन और स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि इस क़ानून में शामिल सभी योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
- ✓ **समाज कल्याण विभाग** – वंचित तबकों की पहचान में अहम् भूमिका।
- ✓ **कृषि विभाग** – खाद्य सुरक्षा के लिए खेती की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए।

सवाल – खाद्य सुरक्षा भत्ता से क्या तात्पर्य है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के अध्याय 2 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणालीए आईसीडीएसए मातृत्व हक और मध्यान्ह भोजन योजना का उल्लेख हैए यानी इन सभी योजनाओं के हकदार यदि योजना का लाभ नहीं पाते तो खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने के हकदार होंगे।

6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सामाजिक संपरीक्षा

सामाजिक संपरीक्षा क्या है?

सामाजिक संपरीक्षा लोगों के लिए लागु योजनाओं से सही और पूर्ण लाभ हासिल करने हेतु माहौल बनाने का एक उपाय है. इसमें न केवल हम किसी योजना की जाँच परख करते हैं बल्कि यह लोगों के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों व संस्थाओं, समुदाय के चरित्र की भूमिका का भी परीक्षण है. एक मुख्य बात यह भी है कि व्यवस्था का हिस्सा होते हुए भी जानकारी न लेना, सवाल न करना एक प्रकार की गैरजिम्मेदारी है. अतः यह जरुरी है की समुदाय प्राथमिकता तय करने के साथ ही सामाजिक संपरीक्षा की पूरी जिम्मेदारी ले.

वास्तव में सामाजिक संपरीक्षा एक नजरिया और दृष्टि आधारित काम करने का तरीका है। इसके तहत कुछ तरीकों (जैसे - लोगों को यह विश्वास दिलाना कि कार्यक्रम या योजना में उनकी भूमिका है, उनके साथ बातचीत करना और पंचायत-सरकारी कार्यालयों के दरवाज़े खुले रखना) और तकनीकों (सहभागिता, जानकारी को खुले में रखना, आंकड़ों का मतलब साफ़ करना, कार्यक्रम या किसी योजना का उसके मानकों के मुताबिक क्रियान्वयन जांचना आदि) के जरिये किसी योजना या कार्यक्रम (यहाँ जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून में शामिल सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन योजना, मातृत्व हक, कृषि क्षेत्र के तहत भोजन उत्पादन की नीति और व्यवस्था) के बारे में लोगों की जानकारी स्पष्ट की जाती है, ताकि समुदाय यह जान सके कि योजना या क़ानून के मुताबिक क्या हक दिए जाने थे, वे दिए गए या नहीं और जिसकी, जो जिम्मेदारी थी, उसका सही ढंग से निर्वहन किया गया या नहीं। फिर वह यह मूल्यांकन करता है कि वह कार्यक्रम या योजना उसकी मंशा के मुताबिक लागू/क्रियान्वित हुई या नहीं?

इस क़ानून का मकसद समाज में भुखमरी और खाद्य सुरक्षा की स्थिति को बदलना है। इस क़ानून के लागू होने से उनकी स्थिति बदली या नहीं और यदि बदली तो कितनी; इन सवालों का जवाब तो समाज ही दे सकता है। इसीलिए सामाजिक संपरीक्षा का मतलब है कि समाज योजना / कार्यक्रम के परिणामों को जांचे। वास्तव में इससे सरकार या कार्यक्रम लागू करने वाली संस्था की जवाबदेयता सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है।

सामाजिक संपरीक्षा कुछ खास नजरियों से व्यवस्था में बदलाव के लिए हमें जमीनी ज्ञान दे सकता है। इससे हमें पता चल सकता है कि – आंगनवाड़ी केंद्र में लड़के और लड़कियों को सामान अवसर/महत्त्व/सेवाएं देने के लिए क्या कोशिशें की गयी हैं? वहां भोजन पकाने वाले स्थान कितने सुरक्षित और साफ़-सुथरे हैं? पोषण आहार के वितरण में समानता और सहृदयता हो, इसके लिए क्या प्रयास किये गए? पोषण आहार कार्यक्रम या जो सेवाएं मिल रही हैं, उनके बारे में बच्चों और महिलाओं के विचार लिए जाते हैं क्या? क्या इससे जाति और लैंगिक आधार पर बनी सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव आ रहा है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून 2013 के तहत शामिल सभी योजनाओं की सामाजिक संपरीक्षा किये जाने का प्रावधान है. इसमें उल्लेख है कि –

1. सामाजिक संपरीक्षा से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से मानिटर और उसका मूल्यांकन करती है। - अध्याय 1 (धारा 20)
2. प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के सम्बन्ध में समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा।

सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया में 5 केंद्रीय बातें

1. क़ानून के मुताबिक लोगों के हक क्या हैं?
2. क्या उन्हे उन हकों के बारे में जानकारी दी गयी?
3. क्या सभी पात्र हकदारों को योजना में शामिल किया गया?
4. सबसे वंचित (जाति, लिंग, आजीविका की साधनों, गरीबी या कोई अन्य कारण) लोगों को खाद्य सुरक्षा हक दिए जाने के लिए क्या कदम उठाये गए?
5. कोई समस्या या शिकायत होने पर, क्या लोग शिकायत कर पाए, क्या लोगों को यह बताया जा सका कि उन्हे कहाँ शिकायत करना है? उनकी शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई? क्या शिकायत का निराकरण हुआ? कितने दिन में हुआ और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

सामाजिक संपरीक्षा का महत्व

हमें समझना होगा कि वैधानिक व्यवस्था के तहत भी आडिट किया जाता है। वह आडिट या अंकेक्षण वाणिज्य और वित्तीय नियमों के तहत निर्धारित व्यवस्था के मानकों पर होता है। उसमें समुदाय या हकधारकों या हितग्राहियों की कोई सहभागिता नहीं होती है।

सामाजिक संपरीक्षा में सबसे बुनियादी बात यह है कि इसमे समुदाय / या हक धारकों की पूरी सहभागिता होती है। वे ही सूचना के सबसे बुनियादी और विश्वसनीय स्रोत होते हैं जो ये बता सकते हैं कि उन्हे क़ानून के तहत लिखे गए अधिकार मिले या नहीं!

दूसरी बात यह है कि जब सरकार या सरकार के प्रतिनिधि सामाजिक संपरीक्षा के तहत दस्तावेज और जानकारियां ग्राम सभा या वार्ड सभा के सामने पेश करेंगे, तो इससे समुदाय भी सवाल पूछने के लिए सशक्त होगा। यह एक ऐसा अवसर हो सकता है जहाँ सरकार और समुदाय बराबरी से संवाद कर सकते हैं। यहाँ सरकार और समुदाय के सम्बन्ध ग्राहता और दाता के नहीं हैं।

व्यक्तिगत शिकायतों, गांव या शहरों की बसाहटों से निकल कर आये मुद्दों या समस्याओं का संज्ञान लेने के लिए सरकार बाध्य होगी। इससे नीतियों और उसके क्रियान्वयन में व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा। क़ानून और नीति बनाने वालों को पता चलेगा कि क़ानून का क्रियान्वयन किस ढंग से हो रहा है।

सामाजिक संपरीक्षा से प्रचलित मान्यताएं जाँची जा सकती हैं। आम तौर पर यह कह दिया जाता है कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, किसी को कोई अधिकार नहीं मिले हैं या सब कुछ ठीक चल रहा है। कहीं कोई शिकायत नहीं है; इन मान्यताओं का परीक्षण किया जा सकता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून और इसकी योजनाओं के सामाजिक संपरीक्षा के मकसद

सामाजिक संपरीक्षा या संपरीक्षा के मुख्य मकसद हैं –

1. क़ानून / योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में समाज / हकदारों की सक्रीय सहभागिता सुनिश्चित करना;
2. यह सुनिश्चित करना कि जो मंशा क़ानून में व्यक्त की गयी है, उसके मुताबिक क्रियान्वयन ही रहा है अथवा नहीं?
3. इस क़ानून / कार्यक्रम को सही ढंग से संचालित करने के लिए जिस तरह की व्यवस्था और ढांचे की जरूरत है; वह स्थापित किया गया है अथवा नहीं?
4. यह देखना कि सामाजिक/आर्थिक रूप से वंचित तबकों की इसमे सम्मानजनक सहभागिता है।
5. महिलाओं, बेघर, खाना-बदोश और घुमंतू समुदायों, विकलांगता से प्रभावित, अनुसूचित जाति-जनजाति, गंभीर बीमारियों से प्रभावित, पेशों के आधार पर बहिष्कृत तबकों को उनके हक मिल रहे हैं और उनकी स्थिति में बेहतरी हो रही है;

6. क़ानून के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन की प्रक्रिया में कोई विसंगति / भ्रष्टाचार नहीं है;
7. कार्यक्रम और बेहतर किस तरह से हो सकता है; यह इसके लिए जमीनी बाते सामने आ सकें;
8. नीति में यदि कोई कमी है, तो अनुभव के आधार पर उसे दूर किया जा सके।
9. यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालित होना चाहिए।
10. शिकायत निवारण व्यवस्था अपना काम जिम्मेदारी से कर रही है।

सामाजिक संपरीक्षा के चरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत सामाजिक संपरीक्षा करने के लिए व्यापक रूप से छह चरण होंगे –

1. कम से कम 15 दिन पहले सम्बंधित विभाग से जरूरी दस्तावेज प्राप्त करना। इसके लिए हर पंचायत के स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा कार्यकर्त्ता / समिति का गठन होना चाहिए।

2. सामाजिक संपरीक्षा समिति/कार्यकर्ता (जो ग्रामसभा द्वारा चयनित होगा) द्वारा समुदाय और परिवार को इस क़ानून के प्रावधानों, उनके हकों और शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में बताना। केवल जानकारी नहीं देना; उसके मायने भी बताना। यह कार्य समुदाय से संपर्क, समूह चर्चा, संचार सामग्री आदि के जरिये किया जायेगा.

3. सामाजिक संपरीक्षा के लिए समुदाय के स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया से जुडने के लिए तैयार एक समूह (जिसमे हकधारक, महिलायें, अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से शामिल हों) होना।

4. अंकेक्षण का प्रारूप और जानकारियां इकठ्ठा करना (जानकारियों के स्रोतों, दस्तावेजों, व्यक्तियों के बारे में स्पष्टता होना कि सूचना कहाँ से मिलेगी/कुछ सूचनाओं की उपयोग पूर्व जांच करना/प्रमाण सहित विस्तृत जानकारियां – हकधारकों, परिवारों, समुदाय, क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओं के बारे में; इकठ्ठा करना)

5. प्रमाण आधारित जानकारियों/प्रमाणित जानकारियों पर संवाद और उसका विश्लेषण – जो जानकारियां इकठ्ठा हुई हैं, उनका विश्लेषण करना, और जो निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं, उन्हें वापस समुदाय/सम्बंधित परिवारों के बीच ले जाना और उन्हें विस्तार से बताना। इस प्रक्रिया में क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार लोगों/संस्था के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना होगा। सामाजिक संपरीक्षा में उस पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, जो क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

6. जवाबदेयता सुनिश्चित करने के लिए निष्कर्षों को प्रमाण सहित सार्वजनिक करना – हर गांव / बस्ती के सामाजिक संपरीक्षा से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों / सतर्कता समिति / जिला शिकायत अधिकारी की उपस्थिति में बैठक करना। इन निष्कर्षों को मीडिया में भी जारी किया जाना चाहिए। फालो-अप करना कि कार्यवाही क्या हुई?

सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया

राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून और उसमे शामिल योजनाओं के सामाजिक संपरीक्षा के लिए विस्तृत नियम बनाने के लिए जिम्मेदार है। मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने तय किया है कि मध्यप्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति (सामाजिक संपरीक्षा इकाई) के तहत ही इस सामाजिक संपरीक्षा की व्यवस्था बनायी जायेगी। इस समिति द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून और उसमे शामिल योजनाओं के सामाजिक संपरीक्षा के लिए निम्न प्रक्रियाएं प्रस्तावित की गयी हैं –

- सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया खाद्य आपूर्ति पखवाड़ा (दिनांक 02 से 16 अक्टूबर के मध्य) के समय सम्पन्न की जावेगी।
- पदाधिकारियों के दायित्वों का निर्धारण- सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ विभिन्न पदाधिकारियों के लिए दायित्वों का निर्धारण राज्य स्तर से किया जायेगा ।
- सितम्बर के तृतीय सप्ताह में सामाजिक अंकेक्षण की अधिसूचना जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जावे, जिसमें ग्राम पंचायतवार सामाजिक अंकेक्षण विषेष ग्राम सभा की तिथि, समय एवं स्थान, नोडल अधिकारी, कार्यवाही लेखक (सहा. सचिव) इत्यादि का उल्लेख हो।
- सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होने के 15 दिवस पूर्व सामाजिक अंकेक्षण हेतु आवश्यक दस्तावेज खाद्य सुरक्षा सामाजिक अंकेक्षण समिति को सौंपे जावे। दस्तावेज प्रदाय करने का दायित्व खाद्य निरीक्षक का होगा।
- सामाजिक अंकेक्षण प्रपत्रों में योजनाओं से संबंधित आधे भाग में भरी हुई जानकारी साफ्टवेयर के माध्यम सीधे उपलब्ध करायी जायेगी ।
- सामाजिक अंकेक्षण हेतु गांवों व नगरीय क्षेत्रों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार/सूचना, जागरूकता शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का संचालन किया जायेगा ।
- सामाजिक अंकेक्षण प्रपत्रों के आधार पर खाद्य सुरक्षा सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए आधे भरे हुए प्रपत्रों के आधार पर दस्तावेज, भौतिक एवं हितग्राहियों ये मौखिक सत्यापन किया जावेगा। सत्यापन में समूह चर्चा, गृह सम्पर्क, सामुदायिक बैठकें, दस्तावेजो का मिलान, स्थल निरीक्षण आदि गतिविधियां शामिल रहेंगी। सत्यापन कार्य हेतु 06 से 08 दिवस निर्धारित किए जाएंगे ।
- सत्यापन के आधार पर प्राप्त तथ्यों/निष्कर्षों पर ग्राम सभा के अभिमत हेतु दिनांक 02 से 16 अक्टूबर तक चरणबद्ध रूप से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा।
- जनसुनवाई/शिकायतों का निवारण -सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त मुद्दों/शिकायतों/अनियमितताओं के निवारण के लिए विकासखण्ड स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में पैनल का गठन कर जनसुनवाई का

आयोजन किया जाए। पैनल में संबंधित योजना क्रियान्वयन विभाग के विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी, स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि शामिल रहें।

कुछ महत्वपूर्ण सवाल

सवाल - क्या वास्तव में सामाजिक संपरीक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए उपयोगी साधन है?

सामाजिक संपरीक्षा एक बहुत उपयोगी साधन हो सकता है, बशर्ते क़ानून के तहत परिभाषित हकदार या कोई और भी व्यक्ति यह तय कर लें कि उन्हे हर योजना की निगरानी करना है, सवाल-जवाब करना है, जानकारी इकठ्ठा करना है और कानूनी प्रावधानों का उपयोग करना है। सामाजिक संपरीक्षा के लिए हमें न केवल योजना और क़ानून को पूरी तरह से समझना है, बल्कि अपने ग्रामसभा /वार्ड सभा में सक्रीय प्रशिक्षित सामाजिक संपरीक्षा कार्यकर्ताओं का समूह भी तैयार करना है। इसके बाद जहाँ भी गड़बड़ियाँ मिलें, वहां उनके सुधार के लिए संघर्ष भी करना होगा।

सोच तो यह कहती है कि सामाजिक संकेक्षण एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया है, जिसमे सरकार और समाज मिल कर एक कार्यक्रम और व्यवस्था की निगरानी करते हैं और कोशिश करते हैं कि तय लक्ष्य हासिल हों। यह वंचित तबकों के सशक्तिकरण का एक प्रभावशाली माध्यम भी है।

सवाल - सामाजिक संपरीक्षा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून (उसमें शामिल योजनाओं) का जब सामाजिक संपरीक्षा होगा, तो इसमे कौन-कौन से पहलुओं/पक्षों का अंकेक्षण होगा?

बुनियादी अधिकारों की उपलब्धता - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत प्राथमिक परिवारों, अन्त्योदय योजना के परिवारों, आंगनवाड़ी के तहत गर्भवती-धात्री महिलाओं, बच्चों, स्कूल के बच्चों और मातृत्व हकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। सामाजिक संपरीक्षा के तहत स्थानीय निकाय यह जांचेंगे कि इन सबको क़ानून के मुताबिक निश्चित समय पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से बिना भेदभाव से सेवाएं, जो उनके हक है, मिली या नहीं। क़ानून में प्रावधान है कि यदि सरकार हकधारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करवा पाती है, तो वह खाद्य सुरक्षा भत्ता देगी; हम यह जांचे कि भत्ता मिला या नहीं!

कहाँ से शुरू होगी प्रक्रिया? - इसके लिए जो जांच की प्रक्रिया होगी वह व्यक्ति / पात्र परिवार से शुरू होगी, फिर समुदाय के स्तर पर उसका क्रियान्वयन जांचा जायेगा। यह तय है कि जमीनी क्रियान्वयन के सूत्र विकासखंड और जिला स्तर (पर्यवेक्षण, नियमित समीक्षा और जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी के सन्दर्भ में) से जुड़े होते हैं। अतः सामाजिक संपरीक्षा में उभरे विषयों को जिले स्तर तक जोड़ने का प्रयास होना चाहिए।

क्रियान्वयन संस्थाओं के स्तर पर - इसके बाद सम्बंधित संस्थाओं (राशन की दुकान, आंगनवाड़ी केंद्र, सकूल, अनाज के भंडारण वाले स्थान आदि) को भी देखा जायेगा कि वहां क्या व्यवस्थाएं हैं? राशन की दुकान में सही तोल और अनाज के वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था है या नहीं? राशन की दुकान पर जानकारियों का बोर्ड लगा है और उस पर जानकारी लिखी है, सभी जरूरी रजिस्टर हैं और उनमे सही जानकारी दर्ज है आदि।

इसी तरह आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के बैठने की व्यवस्था क्या है, भोजन पकाने का स्थान साफ़ है, वहां शौचालय और पीने के साफ़ पानी की व्यवस्था है, बच्चों को अच्छा पोषण आहार मिला रहा है, उसमे नियमितता है आदि। मध्यान्ह भोजन योजना में बच्चों के बैठने की व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, व्यवहार, भोजन पकाने की व्यवस्था, भोजन पकाने के लिए उपयोग में ले जा रही सामग्री – मसलों, अनाज और सब्जी, की गुणवत्ता को देखना और मापना।

शिकायत निवारण व्यवस्था – यह जांचे कि क्या वास्तव में लोगों को बताया गया है कि खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए इस क़ानून में एक शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित की गयी है। यह व्यवस्था जिला स्तर पर होगी। अब तक के अनुभव बबते हैं कि यदि लोगों की शिकायतों को ईमानदारी से दर्ज करके उस पर कार्यवाही की जाए, तो व्यवस्था बहुत हद तक बदल सकती है और शोषण में कमी आ सकती है। अब यह देखा जाना जरूरी है कि जिला शिकायत निवारण अधिकारी और सतर्कता समिति के प्रावधान के तहत लोगों की हर शिकायत या विचार को सुना और दर्ज किया जाए। हर एक को पावती मिले और सही ढंग से 30 दिन में उसका निराकरण हो।

विभागों का आपसी समन्वय - इस क़ानून को लागू करने में एक व्यक्ति या एक संस्था या एक विभाग ही शामिल नहीं होगा। इसे लागू करने में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की मुख्य भूमिका तो है; परन्तु इसके साथ की महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, समाज कल्याण विभाग और वित्त विभाग की भी अहम भूमिकाएं हैं। अतः इनके बीच सामंजस्य (एक परिवार से लेकर राज्य के स्तर तक) भी महत्वपूर्ण है। यदि इन सबके बीच सहज सम्बन्ध और सामंजस्य नहीं होगा, तो क़ानून के प्रावधानों का उल्लंघन होना तय है। अतः सामाजिक अंकेषण में व्यवस्था से सम्बंधित पहलुओं को भी जांचा-परखा जाता है ताकि अच्छाई और बुराई के कारणों को सामने लाया जा सके।

गुणवत्ता - सामाजिक संपरीक्षा के तहत यह देखा जाता है कि योजना/कार्यक्रम का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण ढंग से हुआ या नहीं? एक तरह से इस क़ानून के तहत समाज यह देखेगा कि राशन की दुकान से जो अनाज मिला, उसकी गुणवत्ता अच्छी थी! बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी से पोषण आहार मिला, उसकी गुणवत्ता अच्छी थी! स्कूल में बच्चों को मध्यान्ह भोजन मिला उसकी गुणवत्ता कैसी थी!

सामाजिक असमानता या भेदभाव - खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की एक मूल कारण सामाजिक असामनता भी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत मिलने वाले लाभों में केवल अनाज या खाना ही महत्वपूर्ण नहीं हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हकधारकों को बिना किसी भेदभाव के हक मिलें। सामाजिक संपरीक्षा में यह देखा जायेगा कि पात्र परिवारों की सूची में शामिल करने, राशन कार्ड जारी करने, राशन की दुकान से अनाज दिए जाने, आंगनवाड़ी में पोषण आहार और स्कूल से मध्यान भोजन के वितरण, मातृत्व हक उपलब्ध करवाने सहित किसी भी प्रक्रिया में कोई भी भेदभाव या असमानतापूर्ण व्यवहार तो नहीं हुआ? हम जाति, सम्प्रदाय, लिंग, आर्थिक-सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर होने वाले व्यवहार को जांचेंगे।

बहिष्कार - कुछ तबके ऐसे होते हैं, जो अपने हकों से अलग-अलग कारणों से वंचित रहे हैं। उन्हें सम्मानजनक तरीके से खाद्य सुरक्षा का हक मिले इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं बनाने और मानक तय करने की जरूरत होती है। जैसे विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों के हक छूट न जाएँ। हमें यह देखना है कि आंगनवाड़ी में ऐसा तो नहीं है कि विकलांगता से प्रभावित बच्चे दर्ज ही न हों या दर्ज तो हैं पर वे आते ही न हों और कार्यक्रम लागू करने वालों का उस पर कोई ध्यान ही न हो। यदि ऐसा हुआ तो यह बहिष्कार की स्थिति है। इसी तरह वृद्ध या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति राशन की दुकान जाकर अपने हक का खाद्यान्न ले ही न पा रहा हो; और इस स्थिति पर किसी की नज़र ही न हो। इस क़ानून का मकसद सबसे वंचित तबकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना है और ऐसे में यदि असमानता और बहिष्कार वाला व्यवहार बना रहता है, तो यह माना जायेगा कि क़ानून अपने मकसद को हासिल करने में असफल हो रहा है। ऐसे तबकों के हकों को संरक्षित कर देना इस क़ानून की सबसे बड़ी सफलता है।

अधोसंरचनात्मक ढाँचा - इस क़ानून के क्रियान्वयन में ढांचागत सुविधाओं की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राशन के सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था के लिए भंडार गृह, आंगनवाड़ी के साफ़-हवादार भवन, स्कूल और आंगनवाड़ी में खाना पकाने, पीने के पानी और स्वच्छता की व्यवस्था होना जरूरी है।

क़ानून के मुताबिक व्यवस्थाएं बनना – सामाजिक संपरीक्षा के दौरान यह भी देखा जाना चाहिए कि राशन की दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति बनी या नहीं? उसमे किन लोगों को शामिल किया गया है? इस समिति के गठन की प्रक्रिया क्या रही? क्या यह अपनी भूमिका निभा रही है? क्या विकासखंड स्तरीय सतर्कता समिति बनी? उसमे कौन शामिल हैं? क्या इन समितियों के बारे में व्यापक प्रचार किया गया या क्या लोगों को इसके बारे में पता है?

सवाल - इस प्रक्रिया में हर जानकारी आंकड़ों या दस्तावेजों से तो नहीं मिल पाएगी; ऐसी जानकारियां कैसे इकठ्ठा करेंगे?

सामाजिक संपरीक्षा में गुणवत्ता से सम्बंधित जानकारी या जो जानकारियां कागजों से नहीं मिलती; उन्हे सामने लाने के लिए सामुदायिक रिपोर्ट कार्ड या समुदाय की रिपोर्ट का उपयोग किया जा सकता है। इस रिपोर्ट कार्ड में हम समुदाय या हकधारकों से यह जानकारी लेते हैं कि उन्हें क्या पूरे हक मिल रहे हैं? जो पोषण आहार या खाद्यान्न मिल रहा है वह नियमित रूप से मिलता है और अच्छी गुणवत्ता का है? क्या वे अपने बच्चों को सुरक्षित मानते हैं? आदि।

हम लोगों से पूछ सकते हैं कि अलग-अलग सेवाओं/अधिकारों के सन्दर्भ में वे इस क़ानून को कितने अंक देते हैं और इसमें सुधार कैसे हो सकता है? इसका स्वरुप सरल और स्पष्ट होना चाहिए।

7. सामाजिक संपरीक्षा का क्रियान्वयन - सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) की व्यवस्था की गयी है. अतः यह उचित मूल्य की दुकान से राशनकार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं वितरित करने हेतु बनाई गयी एक प्रणाली है जिसके तहत अनाज (गेहू एवं चावल तथा मोटे अनाज), नमक, शकर, मिट्टी का तेल सस्ते मूल्य पर दिया जाता है.

उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाली सेवायें एवं उसका पर्यवेक्षण

क्र.	सेवाएं	प्रणालीगत व्यवस्थायें
1	उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना	• हर ग्राम पंचायत में एक उचित मूल्य की दुकान स्थापित की जायेगी • यदि किसी पंचायत में पात्र गृहस्थियों की संख्या 800 से अधिक होती है तो 400 अधिक पत्र गृहस्थ परिवार होने पर एक अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकान की स्थापना की जायेगी. • नगरीय क्षेत्रों में हर 800 पात्र गृहस्थ परिवारों पर एक उचित मूल्य की दुकान की स्थापना की जायेगी यानि उस नगर क्षेत्र को कुल पात्र परिवारों से भाग दिया जायेगा व जितनी संख्या निकलकर आती है उतनी दुकाने खोली जाएँगी.
2	उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन	• खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद से अब उचित मूल्य की दुकानों को जिले में स्थित संस्थाओं या समूहों को ही आवंटित किया जायेगा. • एक तिहाई उचित मूल्य की दुकानों को यथासंभव महिला संस्थाओं को आवंटित किया जायेगा. ऐसी दुकानों की विक्रेता भी महिलाएं ही होंगी. • ऐसी संस्थाओं को महिला संस्था समझा जायेगा जिनके सभी सदस्य व पदाधिकारी महिलाएं हों.
3	उचित मूल्य की दुकान का समय	• उचित मूल्य की दुकान का समय (खुलने व बंद होने) सबंधित नगरीय निकाय व जिला पंचायत द्वारा निश्चित किया जायेगा. उचित मूल्य की दुकान रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे खुली रहेगी.
4	राशन का वितरण	• उचित मूल्य की दुकान से राशन का वितरण माह की पहली तारीख से किया जायेगा, पर यदि ऐसा संभव न हो तो विक्रेता सतर्कता समिति के सदस्यों को कारण सहित सूचित करेगा. • यदि कोई राशनकार्ड धारक परिवार किसी खास महीने में पात्रतानुसार सामग्री का क्रय नहीं करता है तो वह ऐसी शेष सामग्री अगले महीने प्राप्त कर सकेगा. • उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता संबंधित राशनकार्ड धारी परिवार के

		सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसी की सामग्री का वितरण नहीं करेगा. परन्तु यदि उस परिवार के सभी सदस्य 60 साल से अधिक उम्र के हैं तो राशनकार्ड धारक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को राशन दिया जा सकेगा.
5	राशन दुकानों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण	• राज्य, जिला, ब्लाक व उचित मूल्य की दुकान स्तर की सतर्कता समितियां उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करेंगी. • निरीक्षण के दौरान किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित समिति द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी एवं इस 15 दिन के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी • सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित आवंटन, उठाव एवं वितरण संबंधी जानकारी विभागीय बेबसाइट पर रखी जाएगी. • उचित मूल्य की दूकान पर वस्तुओं की सही माप तौल हेतु प्रमाणित इलेक्ट्रानिक कांटे, बात एवं माप रखे जायेंगे. • उचित मूल्य की दूकान द्वारा कारोबार के घंटों के दौरान किसी भी पात्र राशनकार्डधारक को राशन देने से इंकार नहीं कर सकेगा.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ लेने की पात्रता

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र परिवारों की पहचान और सत्यापन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा. राज्य सरकार समय समय पर इसमें संशोधन कर सकेगी. वर्तमान में राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 2011 की जनगणना के आधार पर 80 प्रतिशत ग्रामीण और 63 प्रतिशत नगरीय जनसँख्या को शामिल किया है, जिन्हें 2 प्रकार की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है –

1. अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार
2. प्राथमिकता श्रेणी के परिवार (पात्रता सूची परिशिष्ट में दी गयी है)

राशनकार्ड जारी किया जाना

1. पात्र परिवारों को सहायक आपूर्ति अधिकारी/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में भौतिक एवं इलेक्ट्रानिक राशनकार्ड जारी किया जायेगा.
2. राशनकार्ड केवल सत्यापित परिवारों को ही जारी किया जायेगा.
3. राशन कार्ड परिवार की वरिष्ठ महिला के नाम जारी किया जायेगा जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो. यदि 18 साल से कम उम्र की महिला परिवार में नहीं है तो उस परिवार में वरिष्ठ पुरुष के नाम राशन कार्ड जारी किया जायेगा. जब कोई महिला बाद में 18 साल से अधिक उम्र की होती है तो पुनः राशन कार्ड उस महिला के नाम जारी किया जायेगा.
4. नए राशनकार्ड जारी करने एवं राशन कार्ड में संशोधन करने की समयसीमा 15 दिवस एवं डुप्लीकेट राशनकार्ड जारी करने की समयसीमा 3 कार्यदिवस होगी.
5. राशनकार्ड तब तक वैध रहेगा जब तक राज्य सरकार उसे समाप्त न घोषित कर दे. राशनकार्ड धारक द्वारा राशनकार्ड समर्पण करने की स्थिति में भी वह निरस्त हो जायेगा.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामुदायिक निगरानी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामुदायिक निगरानी हेतु खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सतर्कता समितियां बनाये जाने का प्रावधान किया गया है. यह समितियां समुदाय द्वारा ही ग्रामसभा में बनायीं जाएँगी. पर केवल समितिया बन जाने से समुदाय निगरानी की भूमिका

में नही आएगा. समुदाय को सतत निगरानी के लिए आगे आने की जरुरत है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को निरंतर रूप से बनायी गयी व्यवस्था के अनुरूप ठीक से संचालित किया जा सके. इस प्रक्रिया में समुदाय निरंतर व्यवस्था पर नजर रखने, खामियों को दूर करने, व्यवस्था को अधिक जवाबदेह व पारदर्शी बनाने में अग्रणी भूमिका निभाता है.

जब हम सामुदायिक निगरानी की बात करते हैं तो यह समझने की जरुरत है की इस प्रक्रिया में समुदाय अग्रणी भूमिका में होगा और समुदाय ही इसे संचालित करेगा. मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत सार्वजनिक संस्थाओं व सेवाओं की निगरानी हेतु ग्रामसभा को सशक्त बनाया गया है. ग्रामसभा गाँव स्तर की सभी सार्वजनिक संस्थाओं पर नियंत्रण कर सकती है और उन्हें निर्देशित कर सकती है. इस दृष्टि से समुदाय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. समुदाय द्वारा ग्रामसभा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए. साथ ही समुदाय के लोग सतर्कता समिति सदस्यों को निरंतर निगरानी के लिए सहयोग करें. उन्हें उचित मूल्य की दुकान में होने वाली दिक्कतों से अवगत कराएँ और मिलकर इन दिक्कतों का हल निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामाजिक संपरीक्षा

सार्वजानिक वितरण प्रणाली एक जन आधारित योजना है, अतः इस दृष्टिकोण से इसे व्यापक नजरिये से देखने व समझने की जरुरत है. सामाजिक संपरीक्षा इस बात के अहसास करता है की लोगों को सार्वजनिक़ वितरण प्रणाली व्यवस्था में शामिल होना चाहिए तथा इसमें सुधार करके पारदर्शी बनाना चाहिए. खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका महत्वपूर्ण है, इस प्रणाली से हर पात्र परिवार में राशन की उपलब्धता बढाने में मदद मिलती है. अतः हमें यह समझना होगा कि इस प्रणाली के द्वारा बनायीं गयी व्यवस्था अनुसार सामग्री सभी जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक पहुँच रही है या नहीं. इसी परिप्रेक्ष्य में हमें सामाजिक संपरीक्षा की रूपरेखा बनानी होगी यानि सामाजिक संपरीक्षा के द्वारा उचित मूल्य की दूकान द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण, भण्डारण, गुणवत्ता, हक्धारिता आदि की समीक्षा की जाएगी और व्यवस्था को सुधारने व पात्र लोगों को उनका हक़ दिलाने की पुख्ता व्यवस्था कायम की जाएगी.

सार्वजानिक वितरण प्रणाली सामाजिक संपरीक्षा में क्या जांचा जाना है?

- क़ानून / योजना /कार्यक्रम में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबधित जो प्रावधान किये गए हैं, क्या वे हक पात्र व्यक्ति को मिल रहे हैं? यदि नहीं तो क्यों?
- क्या सभी प्रक्रियायें / चरण सहज और सरल हैं?
- कहीं कोई व्यक्ति राशन व अन्य सामग्री से वंचित तो नहीं है? यदि हाँ तो कौन और क्यों?
- राशन व उचित मूल्य दुकान से मिलने वाली अन्य सामग्री के लिए जो हक तय हैं क्या उनमें गुणवत्ता के मानकों का पालन हो रहा है?

- हक/लाभ पाने या लाभ दिए जाने में हर तरह से गरिमा और सम्मान की भावना का पालन किया जा रहा है?
- योजना/कार्यक्रम के लिए जो जरूरी ढांचा, व्यवस्था, प्रशिक्षण और अधोसंरचना चाहिए, वह उपलब्ध है?
- योजना के तहत बनायीं गयी निगरानी व निरीक्षण की व्यवस्थाएं काम कर रही हैं.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामाजिक संपरीक्षा में किस तरह से जानकारी इकठ्ठा की जायेगी ?

यदि हम विस्तार से बात करें तो सामाजिक संपरीक्षा करने के लिए निम्न स्रोतों से जानकारियां इकठ्ठा करना होंगी -

हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बंधित दस्तावेज या उसके अधिकृत छायाप्रति कम से कम 15 दिन पहले समुदाय / स्थानीय निकाय के उस समूह को उपलब्ध करवाई जाना चाहिए, जो सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया चला रहा है। जैसे –

- समुदाय को जानकारी देने के लिए किये गए प्रयासों / सामग्री का विवरण, उसकी प्रति और उपयोग की प्रक्रिया
- राशन की दुकान से पात्र हितग्राहियों की सूची वाला रजिस्टर,
- राशन कार्डधारियों की सूची
- अनाज प्राप्ति वाला भण्डार रजिस्टर
- अनाज वितरण वाला रजिस्टर
- सतर्कता समिति द्वारा किये गए कामों की जानकारी
- शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण
- राशन / अनाज के नमूने
- अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड की सूची

इन दस्तावेजों का अध्ययन करके एक रिपोर्ट तैयार की जाना चाहिए, जिसमे यह उल्लेख हो कि कितने लोग पात्र हैं, कितनों को हक मिल रहे हैं, कौन-कितने लोग वंचित हैं, क्या कोई विसंगति है, क्या शिकायत निवारण व्यवस्था सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है आदि।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया

- 15 दिन पूर्व उचित मूल्य की दुकान व पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी (आवंटन, भण्डारण एवं वितरण, राशन कार्ड धारकों की सूची, खाद्यान्न का नमूना आदि) का संकलन किया जाए.

- समुदाय में प्रेरणादायक माहौल तैयार किया जाये ताकि लोग अपनी दिक्क्तों व जरूरतों के सन्दर्भ में खुलकर बात कर सकें एवं ठोस कदम उठाने हेतु तैयार हों.
- प्रेरणादायक माहौल में गाँव के मुद्दों को समझना तथा एक सहयोगी टीम तैयार करना जो सतही का विश्लेषण करने में सहयोग कर सके.
- इस टीम की मदद से सामाजिक संपरीक्षा टीम उचित मूल्य की दुकान व पोर्टल से प्राप्त जानकारी का मिलान करेगी.
- उचित मूल्य की दुकान व समुदाय से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण किया जाये व उन बिन्दुओं को उभारा जाये जो समुदाय की दिक्कतों व जरूरतों से जुड़े हों. इसकी एक बिन्दुवार रिपोर्ट तैयार की जाये.
- ग्राम पंचायत के सहयोग से सामाजिक संपरीक्षा सभा का आयोजन किया जाये जिसमें उचित मूल्य दुकान क्षेत्र के समुदाय के लोग उपस्थित हों. इस सभा में रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाये. उपस्थित समुदाय रिपोर्ट के सबंध में अपनी विचार व सुझाव रखेंगे.
- अलग अलग गाँव से सामाजिक संपरीक्षा से निकले बिन्दुओं को जिला व ब्लाक स्तरीय संबंधित अधिकारिओं से संवाद करने हेतु एक जनसुनवाई सभा का आयोजन किया जाये एवं सामाजिक संपरीक्षा से निकले बिन्दुओं को सुलझाने का प्रयास किया जाये.
- जो मुद्दे गंभीर किस्म के हों उनकी रिपोर्ट बनाकर जिला शिकायत अधिकारी को कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाये. जिला शिकायत अधिकारी उक्त मुद्दों या विषयों पर जांच कराकर निर्णय लेगें.

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

- सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया चलाने की मूल जिम्मेदारी पंचायत / स्थानीय निकाय की होगी. इस प्रक्रिया में सामाजिक संपरीक्षा समिति/दल सहयोग करेंगे.
- राशन प्रणाली के सामाजिक संपरीक्षा की सूचना कम से कम 1 माह पूर्व ग्राम सभा/वार्ड सभा को दी जायेगी.
- कार्यक्रम से सम्बंधित दस्तावेज/रिकार्ड और जानकारियों की एक प्रमाणित प्रति खाद्य विभाग और राशन दुकान द्वारा संपरीक्षा के 15 दिन पूर्व ग्राम सामाजिक संपरीक्षा एनिमेटर के माध्यम से ग्राम सभा के सदस्यों के अध्ययन के लिए उपलब्ध करवा दी जायेगी.
- सामाजिक संपरीक्षा के दौरान राशन दुकान संचालक, सहायक आपूर्ति अधिकारी, राशन दुकान के स्तर की सतर्कता समिति और विकास खंड सतर्कता समिति के सदस्य और अनुविभागीय अधिकारी अनिवार्य रूप से बैठक में मौजूद रहेंगे.

- इस प्रक्रिया के दौरान यह जरूर जांचा / समझा जाना चाहिए कि कानूनी हकों के बारे में समुदाय की जानकारी का स्तर क्या है? इसके लिए राशन व्यवस्था के हितग्राहियों से अलग से समूह चर्चा की जाना चाहिए.

- सहभागी सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से यह पता किया जाना होगा कि कौन से व्यक्ति या समुदाय इस क़ानून का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और क्यों?

- हमें यह जानना होगा कि क्या लोगों को शिकायत निवारण व्यवस्था और सतर्कता समिति के बारे में जानकारी है और क्या इसका उपयोग समुदाय द्वारा किया गया? यदि उपयोग किया गया, तो उनके अनुभव क्या रहे?

- यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया स्थानीय भाषा में हो. ग्राम सभा या सामाजिक संपरीक्षा की नगरीय बैठक में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट की भाषा भी स्थानीय हो.

सामाजिक संपरीक्षा प्रपत्र
सार्वजनिक वितरण प्रणाली

परिवार अनुसूची - सामाजिक संपरीक्षा – खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में सभी परिवारों का सर्वे (पात्रता एवं उपलब्धता)

सर्वेकर्ता का नाम .....दिनांक .....

क्र.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	परिवार प्रमुख का नाम	परिवार में कुल सदस्य	क्या एनएफएसए में शामिल हैं हाँ -1 नहीं - 2	यदि हाँ तो पात्रता श्रेणी क्या है ? अन्त्योदय -1, प्राथमिकता (नीचे की सूची से कोड भरें)	एनएफएसए में पात्र होने पर भी नाम न होने पर, अपना नाम जुडवाने के लिए आवेदन किया? हाँ - 1 नहीं -2	यदि हाँ तो कब 1 माह से कम -1, 1-3 माह-2, 3 -6 माह -2 6 माह से अधिक -4	अभी क्या स्थिति है आवेदन लंबित है-1, नाम जोड़ने का आदेश हो गया है-2, अन्य - 3	यदि एनएफएसए में शामिल हैं तो परिवार में सबसे वरिष्ठ महिला के नाम कार्ड बना है हाँ -1 नहीं -2	पात्रता के अनुसार परिवार को कितना राशन मिलना चाहिए	हक धारक के मुताबिक पिछले तीन माह में कितना राशन मिला?	उचित मूल्य दूकान रिकार्ड के मुताबिक हक धारक को कितना राशन मिला?	हकधारक एवं उचित मूल्य दुकान रिकार्ड में अंतर	क्या किसी भी कारण से हक धारक को राशन देने से इनकार किया गया है? यदि हाँ तो क्यों? सूची से नाम हटा दिया -1, राशन दुकान में अनाज नहीं था-2, अन्य -3	राशन की गुणवत्ता कैसी होती है? अच्छी -1, औसत-2, खराब - 3	समग्र संख्या

कोड – कालम – 5 हेतु - 2 मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक। 3. अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में रहने वाले बच्चे। 4. गांवों में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर। 3. शहरों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति। 5. शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएं। 6. रेलवे के पंजीकृत कुली। 7. बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक (उन्हींत पूर्व नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित किया जाना है, जिनमें श्रमिकों के भुगतान निराकरण न होने के कारण लंबित हैं)। 8. समस्त भूमिहीन कोटवार- (वे सभी कोटवार जो भूमि स्वामी के रूप में धारण किए जाने वाली भूमि की गणना कर भूमिहीन की श्रेणी में आते हों)। 9. नगरीय निकायों में पंजीकृत केश शिल्पी। एचआईवी (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से योजना का लाभ लेना चाहते हों)। 10. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही। 11. निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन। 12.

ग्रामीण क्षेत्र में वनाधिकार पट्टेधारी। 13. मत्स्य पालन के लिए बनी मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्य और उनके परिवार। 13. वे परिवार, जिनकी 50% फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो गयी हो। 15. शहरी क्षेत्रों में हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति। 15. शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)। 17. मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी। 18. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक। 19. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी। 21. पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति। 22. सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत मत्स्य पालन करने वाले (मछुआरे) परिवार/सदस्य। 23. समस्त बीपीएल सूची में शामिल परिवार। 23. समस्त अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार। 25. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार [1]। 26. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार (आयकर भुगतानकर्ता या सरकारी,अर्द्ध सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत को छोड़ कर]। 27. चालक / परिचालक (बिंदु 25 और 26 में उन्हे छोड़ कर जो आयकर का भुगतान करते हैं या सरकारी, अर्द्ध सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में काम करते हैं);

समूह चर्चा अनुसूची – पी डी एस (1 गांव में एक - कम से कम 10 एवं अधिकताम 20 व्यक्ति जिसमें आधी महिलाएं हों व सभी श्रेणी के सदस्य हों)

जिला		समूह चर्चा में शामिल लोगों के नाम	समूह चर्चा में शामिल लोगों की पात्रता श्रेणी	समूह चर्चा में शामिल लोगों के नाम	समूह चर्चा में शामिल लोगों की पात्रता श्रेणी
विकास खंड					
पंचायत					
गांव/बस्ती का नाम					
मोहल्ले का नाम					
समूह चर्चा की तारीख					

संकेतक - बहुत अच्छा - 75 % से अधिक, अच्छा - 50-75 %, मध्यम – 25-50 %, खराब 25 % से कम

क्र.	**सूचक / उत्तर** **(हर प्रश्न वाले कालम में निम्न सन्दर्भों में उत्तर देना है.)**	**संख्या या** **हाँ – 1 नहीं – 2**	**बहुत अच्छा - 1, अच्छा - 2,** **मध्यम – 3, खराब 4**
जानकारी और हकों तक पंहुच			
1	क्या लोगों को जानकारी है कि सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के तहत हक क्या हैं?[1] प्राथमिकता श्रेणी/ अन्त्योदय श्रेणी		
2	क्या गांव में सभी वंचितों (वे श्रेणियाँ, जिन्हें राज्य में प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया गया है) को खाद्य सुरक्षा		

[1] प्राथमिकता की सूची के तहत शामिल परिवारों को 5 किलो राशन प्रतिमाह (मध्यप्रदेश में कीमत 1 रूपए प्रति किलो) और अन्त्योदय श्रेणी के परिवारों को 35 किलो राशन प्रतिमाह (मध्यप्रदेश में कीमत 1 रूपए प्रति किलो); एक किलो नमक और मिट्टी का तेल

	कानून के तहत राशन कार्ड मिले हैं?		
3	क्या सभी राशन कार्ड महिलाओं के नाम से बने हैं? **हाँ / नहीं**		
4	राशन की दुकान सरकारी अवकाश के दिन छोड़ कर हर दिन खुलती है? **हाँ / नहीं**		
5	राशन की दुकान कम से कम से कम 6 घंटे खुलती है?		
6	क्या उन्हे पता है कि खाद्यान्न नहीं मिलने पर उन्हे खाद्य सुरक्षा भत्ता मिलना चाहिए?		
7	क्या उन्हें पता है कि यदि किसी कारण वे एक माह राशन न ले पायें तो अगले महीने भी बचा हुआ राशन ले सकते हैं?		
8	क्या उन्हे पता है कि अनुसूचित जाति / जनजाति का जाति प्रमाणपत्र न होने पर भी वे खाद्य सुरक्षा का हक हासिल कर सकते हैं?		
राशन व्यवस्था का संचालन			
9	गांव/बस्ती से सम्बंधित राशन दुकान सप्ताह में कितने दिन खुलती है? **दिन संख्या**		
10	यदि लोग किसी माह में राशन नहीं ले पाए हों, तो क्या उन्हे अगले माह में राशन मिल पाया?[2] **हाँ नहीं**		
11	क्या लोगों को नियम अनुसार निश्चित मात्र में (अन्त्योदय 35 किलो व प्राथमिकता श्रेणी को 5 किलों प्रति व्यक्ति राशन व 1 किलो नमक दिया जाता है) **हाँ नहीं**		
12	क्या लोगों को बताया जाता है कि हर माह राशन दुकान पर राशन कब आता है? **हाँ / नहीं**		
13	क्या लोग वज़न मशीन मानिटर पर यह देख पाते हैं कि उन्हें दिए जा रहे राशन का वज़न कितना है? **हाँ/नहीं**		
14	क्या वे राशन के वजन से संतुष्ट हैं? **हाँ / नहीं**		
15	राशन की दुकान से मिलने वाले अनाज की गुणवत्ता कैसी होती है?		
16	राशन की दुकान पर ताज़ा जानकारी चस्पा होती है कि नहीं?		
17	राशन दुकान स्तर पर सतर्कता समिति बनी है कि नहीं?		
वंचित तबकों को हक मिलना			
18	क्या गांव/बस्ती में सबसे वंचित परिवार[3] व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा क़ानून में हक मिल रहा है?		

[2] क्या लोगों को पता है कि वे इस तरह भी राशन ले सकते हैं? और उन्होंने या किसी भी एक परिवार ने इस प्रावधान का उपयोग किया हो, तो उत्तर दें.

19	क्या ग्राम सभा की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून पर चर्चा हुई?		
20	क्या ग्राम सभा की बैठक में पात्र परिवारों की सूची पढ़ी गयी?		
पारदर्शिता, शिकायत निवारण, सतर्कता व्यवस्था[4]			
21	क्या लोगों को पता है कि इस क़ानून के तहत एक विशेष शिकायत निवारण व्यवस्था बनायी गयी है?		
22	क्या उन्होंने कभी अपनी समस्याओं और शिकायतों से शिकायत निवारण अधिकारी या सतर्कता समिति को अवगत कराया? **हाँ / नहीं**		
23	यदि हाँ, तो क्या उनकी शिकायत का निराकरण हुआ? **हाँ / नहीं**		
24	यदि कोई शिकायत/शिकायतें लंबित है, तो कितने दिन से? 1 माह से कम -1, 2से 3 माह -2, 3 माह से अधिक – 3, अन्य -4		
25	क्या ऐसा हुआ है कि उन्होने शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, पर शिकायत ही दर्ज न हुई हो? **हाँ / नहीं**		
26	सामान्यतः लोगों की समस्याएं किस प्रकार की है? 1. राशन की तुलाई ठीक ढंग से न होना। **हाँ / नहीं**		
	2. नियमित रूप से राशन दुकान न खुलना। **हाँ/ नहीं**		
	3. राशन की गुणवत्ता खराब होना। **हाँ/ नहीं**		
	4. किन्ही परिवारों का पीडीएस सूची में शामिल न होना। **हाँ / नहीं**		
	5. राशन दुकान का दूर होना। **हाँ / नहीं**		

[3] एकल महिला, मानव मल ढोने वाले परिवार, सपेरे, पारधी, जाति आधार पर देह व्यापार करने वाली महिला, ढ़ोल बजाने वाले, बांस का काम करने वाले, मछुआरे, आश्रय विहीन या बेघर, मजदूरी या काम के लिए पलायन करने वाले परिवार, सिलिकोसिस या टीबी से प्रभावित, मोची, चरवाहे, पन्नी या कचरा बीनने वाले, कोई अन्य घुमंतू या खाना बदोश समुदाय का परिवार, तीसरे लिंग से सम्बंधित व्यक्ति,

[4] इस क़ानून के तहत हर राशन दुकान के स्तर पर एक सतर्कता समिति होगी, जिसमें हितग्राही भी शामिल होंगे. हर विकासखंड स्तर पर भी सतर्कता समिति होगी. हर जिले के स्तर पर भी सतर्कता समिति होगी. जिला स्तर पर कलेक्टर जिला शिकायत निवारण अधिकारी की भूमिका निभाएंगे.

	6. खाद्यान्न का न मिलना		
27	**राशन दुकान का अवलोकन** एवं वितरक से चर्चा 29.1 क्या राशन की दुकान पर अनाज के उचित भण्डारण की व्यवस्था है 29.2 राशन की दुकान पर उपलब्ध अनाज की गुणवत्ता कैसी है या खराब-3 29.3 क्या राशन वितरण कि परिवारवार वितरण कि जानकारी अद्यतन है हाँ/ नहीं 29.4 क्या राशन का स्टाक एवं वितरण रजिस्टर में वितरित अनाज का मिलान ठीक है हाँ / नहीं 29.5 राशन दुकान वितरक की कोई समस्याएं हैं **हाँ / नहीं यदि हाँ तो क्या .....**		
28.	**सतर्कता समिति/सरपंच से चर्चा (सरपंच समिति के अध्यक्ष हैं)** 30.1 क्या सतर्कता समिति बनी है 30.2 नियमित बैठकें होती हैं 30.3 क्या सदस्यों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बुनियादी हकों (सुबिधायें व लाभ) की जानकारी है 30.4 क्या दुकान की किसी समस्या के बारे में उन्हें पता है यदि हाँ तो क्या		

क्या सभी पात्र परिवारों/व्यक्तियों को क़ानून के प्रावधान के मुताबिक नियमित रूप से खाद्य सुरक्षा का हक मिल रहा है?

क्या कोई वंचित है?

कौन और क्यों?

क्या लोगों को जानकारी/सूचना मिलती है?

क्या लोगों की कोई शिकायत है?

क्या उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं तो क्यों?

इस क़ानून के प्रावधान से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया?

समूह चर्चा कराने वाले सदस्य का नाम ..... दिनांक .....

सामाजिक संपरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप – सार्वजनिक वितरण प्रणाली

राशन की मात्रा में अंतर			
व्यक्ति/मुखिया का नाम	वास्तव में प्राप्त हो रहे राशन की मात्रा – किलोग्राम में (जो हितग्राही ने बताया)	पात्रता के अनुसार कितना राशन प्राप्त होना चाहिए? - किलोग्राम में	रिकार्ड के अनुसार कितना राशन मिल रहा है?

पात्र होने के बाद भी योजना की सूची में शामिल न होने वाले परिवार			
व्यक्ति/मुखिया का नाम	सदस्य संख्या	पात्रता श्रेणी, जिसके कारण योजना में शामिल होना चाहिए.	रिकार्ड के अनुसार क्या स्थिति है?

परिवार के सभी सदस्यों का योजना में शामिल होना			
व्यक्ति/मुखिया का नाम	वास्तविक सदस्य संख्या	योजना में लाभ पा रहे सदस्यों की संख्या	रिकार्ड के अनुसार कितने सदस्यों की पात्रता तय है?

8. सामाजिक संपरीक्षा का क्रियान्वयन - एकीकृत बाल विकास परियोजना

देश की जनसंख्या में 14 प्रतिशत हिस्सा छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है. इन बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु अनेक योजनाएं संचालित कि जा रही हैं जिसमें एकीकृत बाल विकास परियोजना प्रमुख है. यह योजना खाद्य सुरक्षा कानून के तहत भी शामिल की गयी है. अतः सामाजिक संपरीक्षा के सन्दर्भ में हम एकीकृत बाल विकास योजना के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे.

एकीकृत बाल विकास परियोजना का परिचय एवं उद्देश्य

देश में बच्चों के हकों को संरक्षण देने के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना बनायीं गयी है. यह योजना 1975 में शुरू की गई थी ताकि बच्चों को विभिन्न लाभ एकीकृत ढंग से आंगनबाड़ी केन्द्र में मिल सकें। छः वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे, हर गर्भवती-धात्री महिला और हर किशोरी बालिका इस कार्यक्रम के लाभार्थी हैं. इस परियोजना के निम्न उद्देश्य है -

- छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाना।
- बच्चों के सही मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की ठोस नींव डालना।
- बच्चों की मौतों, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की परिस्थितियों को बदलना।
- बच्चों के विकास के लिए कार्यरत विभिन्न विभागों के बीच नीतियों एवं क्रियान्वयन के स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
- स्वयं की एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और विकास सम्बन्धी जरूरतों के मद्देनजर सामुदायिक शिक्षा के जरिये महिलाओं की क्षमता का विकास करना।

एकीकृत बाल विकास योजना द्वारा दी जाने वाली सेवाएं

1. **पूरक पोषण आहार** - 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को वर्ष में कम से कम तीन सौ दिन पूरक पोषण आहार ।

2. **स्वास्थ्य की जाँच** - सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रत्येक माह टीकाकरण के दिन ए.एन.एम. तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य जाँच एवं आवश्यक सलाह।

3. **संदर्भ सेवाएं** - स्वास्थ्य की जाँच के आधार पर जरूरी होने पर महिलाओं और बच्चों को विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी या जिलास्तरीय चिकित्सालय में भेजा जाता है।

4. **पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा** - आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा ए.एन.एम. द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी घरों में जाकर हितग्राहियों के स्वास्थ्य की जाँच एवं उन्हें संतुलित भोजन आदि के बारे में सलाह देना ।

5. **शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा** - आंगनवाड़ी केन्द्रों का मुख्य उद्देष्य बच्चों का मानसिक विकास करना है जिससे वे प्राथमिक स्कूल में और अच्छी तरह से शिक्षा ले सकें। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा दी जाती है। बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों जैसे - जल, जंगल, जानवर आदि के बारे में प्रारंभिक बातें बतायी जाती हैं।

6. **स्वास्थ्य सेवाएं** - विभाग द्वारा स्वास्थ्य से सम्बन्धित सेवाएँ अलग से नहीं दी जाती हैं बल्कि स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र के रूप में एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाता है।

7. **टीकाकरण** - सभी आंगनवाड़ियों में प्रतिमाह/सप्ताह में एक दिन ए.एन.एम. द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण ।

   आंगनवाड़ी केन्द्रों के द्वारा दी जाने वाली 6 सेवाओं में से 4 सेवाएँ स्वास्थ्य विभाग के अमले के सहयोग से दी जाती हैं।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत एकीकृत बाल विकास सेवाएं

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून 2013 के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती-धात्री महिलाओं के पोषण आहार के हकों को शामिल किया गया है। इन हकों की उपलब्धता महिला और बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित एकीकृत बाल विकास सेवाएँ परियोजना के जरिये सुनिश्चित की जायेगी। इस क़ानून के मुताबिक –

- **बिंदु 7 (ग)** – प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता को गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात के छह माह के दौरान स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन के लिए हकदार बनाना जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषण सम्बन्धी मानकों को पूरा किया जा सके; और ऐसी स्त्रियों के लिए छह हज़ार रूपए के अन्यून के प्रसूति फायदे का ऐसी किश्तों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जाएँ, उपबंध करना;

  (मध्यप्रदेश में 28 लाख गर्भवती और धात्री महिलाओं में से केवल 1.4 लाख महिलाओं को किसी तरह का मातृत्व हक मिलता है.)

- **बिंदु 7 (घ)** – चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को – (i) छह माह से छह वर्ष की आयु समूह के बच्चों की दशा में; स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से आयु के अनुसार समुचित भोजन का निःशुल्क हकदार बनाना, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषण सम्बन्धी मानकों को पूरा किया जा सके;

- **बिंदु 7 (ङ)** – राज्य सरकार से, ऐसे बच्चों की, जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, पहचान करने की और स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध करने की अपेक्षा करना, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषण सम्बन्धी मानकों को पूरा किया जा सके; तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच खर्च में हिस्सा बाँटना भी है, ऐसी रीति से जो, केन्द्रीय सरकार द्वारा

विहित की जाए, स्त्रियों और बच्चों की हक़दरियों से सम्बंधित स्कीमों का क्रियान्वयन करना;

- **बिंदु 7 (च)** – प्रस्तावित विधान के अध्याय 2 के अधीन पात्र व्यक्तियों को, खाद्यान्न या भोजन की हक़दार मात्रा का प्रदाय न किये जाने की दशा में, प्रत्येक व्यक्ति को सम्बंधित राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जाने समय के भीतर और रीति के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार बनाना;

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के अध्याय 2 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आईसीडीएस, मातृत्व हक और मध्यान्ह भोजन योजना का उल्लेख है, यानी इन सभी योजनाओं के हकदार खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने के हकदार होंगे।

एकीकृत बाल विकास योजना के हितग्राही

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के अंतर्गत दर्ज हक

1. गर्भवती और धात्री महिलाओं का पोषण का अधिकार [अध्याय 2 / धारा 4 (क)]

   इस क़ानून के मुताबिक गर्भवती महिलाओं और धात्री माता को स्थानीय आंगनवाड़ी से निःशुल्क घर ले जाए जाने के लिए भोजन मिलेगा। यानी यह स्पष्ट है कि गर्भावस्था के नौ माह और शिशु के जन्म के बाद छह माह तक महिलाओं को पोषण आहार पाने की पात्रता होगी। उससे 600 कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए।

2. जन्म से 6 माह तक के बच्चों के लिए [अध्याय– 2 / धारा 5 (क)]

   आंगनवाड़ी के जरिये छह माह से कम उम्र के बच्चों के लिए केवल स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जायेगा।

3. 6 माह से 3 साल तक के बच्चों के लिए [अध्याय 2 / धारा 5 (क)]

   आंगनवाड़ी के जरिये 6 माह से 3 वर्ष की उम्र के बच्चों को घर ले जाया जाने वाला भोजन मिलेगा। जिसमें 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए।

4. 3 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए [अध्याय 2 / धारा 5 (क)]

   आंगनवाड़ी के जरिये 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह नाश्ता और फिर गर्म पका हुआ भोजन मिलेगा। जिसमें 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए।

5. आंगनवाड़ी केंद्र में जरूरी सुविधाएँ [अध्याय 2 / धारा 5 (ख)]

   यह क़ानून कहता है कि हर आंगनवाड़ी केंद्र में खाना पकाने, पीने के पानी और स्वच्छता (शौचालय) की सुविधाएँ होंगी।

6. 6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चों के लिए [अध्याय 2 / धारा 6]

स्थानीय आंगनवाड़ी ऐसे बच्चों की पहचान करेगी, जो कुपोषण की गिरफ्त में हैं ताकि पोषण आहार के जरिये कुपोषण को दूर किया जा सके। आंगनवाड़ी के जरिये 6 माह से 6 वर्ष की उम्र के जो बच्चे कुपोषित हैं, उन्हें घर ले जाए जाने वाला भोजन मिलेगा। जिसमे 800 कैलोरी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए।

7. मातृत्व हक़ [अध्याय 2 / धारा 4 (ख)]

   मातृत्व हक़ के रूप में हर गर्भवती महिला को 6000 रूपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस पर बीपीएल जैसी कोई शर्त नहीं होगी।

एकीकृत बाल विकास परियोजना सामुदायिक निगरानी

बच्चों के विकास हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजना एक महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना से समुदाय में महिलाओं का जुडाव है. खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इस योजना की निगरानी हेतु सतर्कता समितियां बनाये जाने का प्रावधान किया गया है. यह समितियां समुदाय द्वारा ही ग्रामसभा में बनायीं जाएँगी. समिति को निरीक्षण देखरेख का अधिकार दिया गया है. समितियों द्वारा निगरानी एक पहलु है. पर एकीकृत बाल विकास परियोजना की सतत निगरानी किया जाना बेहद जरुरी है. इस प्रक्रिया में समुदाय निरंतर व्यवस्था पर नजर रखने, खामियों को दूर करने, व्यवस्था को अधिक जवाबदेह व पारदर्शी बनाने में अग्रणी भूमिका निभाता है.

जब हम सामुदायिक निगरानी की बात करते हैं तो यह समझने की जरुरत है की इस प्रक्रिया में समुदाय अग्रणी भूमिका में होगा और समुदाय ही इसे संचालित करेगा. मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत सार्वजनिक संस्थाओं व सेवाओं की निगरानी हेतु ग्रामसभा को सशक्त बनाया गया है. ग्रामसभा गाँव स्तर की सभी सार्वजनिक संस्थाओं पर नियंत्रण कर सकती है और उन्हें निर्देशित कर सकती है. इस दृष्टि से समुदाय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. समुदाय द्वारा ग्रामसभा में गांव की आंगनवाड़ी की समीक्षा की जानी चाहिए. साथ ही समुदाय के लोग सतर्कता समिति सदस्यों को निरंतर निगरानी के लिए सहयोग करें. उन्हें आंगनवाड़ी में होने वाली गतिविधियों व दिक्कतों से अवगत कराएँ और मिलकर इन दिक्कतों का हल निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए.

एकीकृत बाल विकास योजना का सोशल आडिट

एकीकृत बाल विकास योजना में क्या क्या जांचा जाना चाहिए

- 6 साल से कम उम्र के आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चे एवं ऐसे बच्चों की संख्या जो दर्ज होने से छूट गए हैं
- आंगनवाड़ी का नियमित सञ्चालन
- आंगनबाडी में 3-6 साल उम्र के बच्चों को गर्म पका भोजन एवं 3 साल से कम उम्र के बच्चों को टेक होम राशन की मात्रा एवं गुणवत्ता
- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टेक होम राशन की मात्रा एवं गुणवत्ता
- 6 साल से कम उम्र के बच्चों की बृद्धि निगरानी एवं कुपोषण की पहचान

- आंगनवाड़ी में पीने का पानी एवं स्वच्छता की स्थिति
- स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु आंगनबाडी द्वारा किये गए प्रयास की स्थति

एकीकृत बाल विकास योजना से संबंधित दितीयक जानकारी जमा करना

- समुदाय को जानकारी देने के लिए किये गए प्रयासों/सामग्री का विवरण, उसकी प्रति और उपयोग की प्रक्रिया
- आंगनवाड़ी में दर्ज गर्भवती-धात्री महिलाओं और बच्चों की सूची वाला रजिस्टर
- उपस्थिति पंजी / रजिस्टर
- गांव का/आंगनवाड़ी केंद्र के क्षेत्र के सर्वे रजिस्टर
- पोषण आहार वितरण पंजी
- वृद्धि निगरानी रजिस्टर
- पोषण आहार उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदार समूहों (स्वयं सहायता समूह/स्वयं सेवी संस्था/केन्द्रीयकृत रसोई आदि) से सम्बंधित दस्तावेज
- पोषण आहार बनाने के लिए मिलने वाले राशन से सम्बंधित रिकार्ड

हकधारकों से संवाद और उनके अनुभव – तथ्यों/ वक्तव्य को दर्ज करना

- बच्चों – गर्भवती-धात्री महिलाओं से संवाद

इसके साथ ही योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ रचनात्मक संवाद करना।

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी (विकासखंड)
- स्वयं सहायता समूह/रसोइये
- सतर्कता समिति की सदस्य
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी और जिला सतर्कता समिति के सदस्यों से संवाद

इसके साथ ही योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ रचनात्मक संवाद करना।

- राशन दुकान संचालक/प्रबंधक।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी (विकासखंड)
- स्कूल प्रबंधन समिति/स्वयं सहायता समूह/रसोइये/बच्चों के पालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी और जिला सतर्कता समिति के सदस्यों से संवाद

सामाजिक संपरीक्षा प्रपत्र - एकीकृत बाल विकास परियोजना

आंगनवाडी प्रपत्र – आंगनवाडी कार्यकर्त्ता से चर्चा करके भरें

1. सामान्य जानकारी

गाँव का नाम .....आंगनवाडी क्रमांक ....

आंगनवाडी कार्यकर्त्ता का नाम ..... सहायिका का नाम ..

2. दर्ज संख्या – पोषाहार व पका भोजन वितरण की सूची भी लें व समुदाय से मिलान करें

क्र	हितग्राही	दर्ज संख्या	लाभ प्राप्त	लाभ अप्राप्त
1	गर्भवती			
2	धात्री			
3	किशोरी बालिका			
4	6 माह से 3 साल के बच्चे			
5	3 साल से 6 साल के बच्चे			
6	कम वजन बच्चे 3 साल तक			
7	कम वजन बच्चे 3-6 साल			
8	अति कम वजन बच्चे 3 साल तक			
9	अति कम वजन बच्चे 3-6 साल			

3. आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं/सामग्री की सूची

सामग्री / सुविधा का नाम	उपलब्धता हाँ -1 , नहीं - 2	यदि उपलब्ध है तो गुणवत्ता ठीक है हाँ 1, नहीं-2	रिमार्क – उपलब्धता या गुणवत्ता ठीक न होने के कारण
बच्चों के वज़न की मशीन			
बड़ों/वयस्कों के वज़न की मशीन			
वज़न रजिस्टर / चार्ट			
पीने का पानी			
शौचालय			
स्कूल पूर्व शिक्षा सामग्री			
खिलौने / खेल सामग्री			
रसोई घर			
खाना पकाने के बर्तन			
भोजन के बर्तन			
एम यू ए सी टेप			
आंगनवाड़ी भवन (स्वयं का या किराए का?)			
अन्य			

4. सामुदायिक निगरानी समिति / मातृ समिति / सतर्कता समिति के सदस्य और उनकी भूमिका

क्या समिति बनी है? – हाँ -1 नहीं -2

यदि बनी है तो यह भरें -सदस्य का नाम	पद	क्या विगत तीन माह में समिति की बैठक में सहभाग किया? हाँ -1 नहीं -2	क्या विगत तीन माह में आईसीडीएस केंद्र का भ्रमण किया? हाँ -1 नहीं -2

5. स्तनपान को समर्थन/बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास – गृह संपर्क-1, बैठक में परामर्श -2, अन्य -3

6. गर्भवत/धात्री महिलाओं के पोषण आहार के लिए प्रयास - गृह संपर्क-1, बैठक में परामर्श -2, अन्य -3

7. आपको आंगनवाडी संचालन में क्या कठिनाइयाँ आती है .....

8. आंगनवाड़ी से मिले पोषण आहार का समुदाय से मिलान (सभी बच्चों का या चुने हुए निम्नानुसार)

क्र	**हितग्राही का नाम/पिता अथवा पति का नाम (आंगनवाड़ी रजिस्टर से नोट करें) 3 साल से 6 साल के बच्चों को पका भोजन मिलता है अतः उस कालम में केवल हाँ नहीं का उत्तर आयेगा**	**कितना टेक होम राशन रिकार्ड में (पैकेट संख्या)**	**कितना टेक होम राशन परिवार के अनुसार**	**अंतर यदि है** **हाँ-1 नहीं-2**
1	गर्भवती – 1.....			
	गर्भवती – 2...			
	गर्भवती – 3...			
2	धात्री -1 ...			
	धात्री -2...			
	धात्री -3...			
3	किशोरी बालिका -1.....			
	किशोरी बालिका -2.....			
4	6 माह से 3 साल के बच्चे 1....			
	6 माह से 3 साल के बच्चे 2....			
	6 माह से 3 साल के बच्चे 3....			
5	3 साल से 6 साल के बच्चे 1			
	3 साल से 6 साल के बच्चे 2.....			
	3 साल से 6 साल के बच्चे 3.....			

6	कम वजन बच्चे 3 साल तक 1...			
	कम वजन बच्चे 3 साल तक 2...			
	कम वजन बच्चे 3 साल तक 3 ...			
7	अति कम वजन बच्चे 3 साल तक 1..			
	अति कम वजन बच्चे 3-6 साल 2...			
	अति कम वजन बच्चे 3-6 साल 3...			

जानकारी जमा करने वाले सदस्य का नाम व हस्ताक्षर ..... **दिनांक .....**

समूह चर्चा कराने वाले सदस्य व हस्ताक्षर ..... दिनांक ....

सामाजिक संपरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप – एकीकृत बाल विकास परियोजना

गरम पके हुए भोजन की स्थिति – बच्चे				
3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे का नाम	पात्रता के अनुसार कितने दिन पका हुआ भोजन मिलना चाहिए?	वास्तव में कितने दिन भोजन प्राप्त हुआ?	रिकार्ड के अनुसार कितने दिन भोजन प्राप्त हुआ?	गुणवत्ता के बारे में राय

टेक होम राशन की स्थिति – बच्चे				
6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे का नाम	पात्रता के अनुसार कितना टेक होम राशन मिलना चाहिए?	वास्तव में प्राप्त टेक होम राशन की मात्रा	रिकार्ड के अनुसार कितना टेक होम राशन प्राप्त हुआ?	गुणवत्ता के बारे में राय

टेक होम राशन की स्थिति – गर्भवती, धात्री महिलायें और किशोरी बालिकाएं				
महिला / बालिका का नाम	पात्रता के अनुसार कितना टेक होम राशन मिलना चाहिए?	वास्तव में प्राप्त टेक होम राशन की मात्रा	रिकार्ड के अनुसार कितना टेक होम राशन प्राप्त हुआ?	गुणवत्ता के बारे में राय

योजना के क्रियान्वयन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं			
बिंदु	उपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध, पर उपयोगी या उपयोग में नहीं
भोजन पकाने के लिए रसोई घर			
भोजन पकाने के बर्तन			
पीने के साफ़ पानी का स्रोत			
भोजन करने के लिए बर्तन			
बैठने की व्यवस्था			
टेक होम राशन सुरक्षित रखने की व्यवस्था			
कुपोषित बच्चों का रिकार्ड			
बच्चों के लिए खिलौने			
प्रारंभिक शिक्षा सामग्री			

9. सामाजिक संपरीक्षा का क्रियान्वयन - मध्यान्ह भोजन योजना

मध्यान्ह भोजन का परिचय एवं उद्देश्य

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के मुताबिक भारत में लगभग 20 करोड़ लोग रोज भूखे रह जाते हैं। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में 19 प्रतिशत जनसँख्या 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों की है। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि उन 20 करोड़ लोगों में से लगभग 4 करोड़ इस उम्र के बच्चे होते हैं। क्या ये बच्चे भूखे रहते हुए शिक्षा हासिल कर सकते हैं? इन बच्चों को भूखे न रहते हुए, शिक्षा का अधिकार भी मिल सके, यही लक्ष्य हासिल करना मध्यान्ह भोजन योजना का लक्ष्य है। प्रारम्भिक शिक्षा के साथ पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्यान्ह भोजन योजना) की शुरूआत 15 अगस्त 1995 में हुई। इस योजना के तहत सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में सभी बच्चों को दोपहर का भोजन दिए जाने का प्रावधान है। अब यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून-2013 में शामिल है। इस हिसाब से मध्यान्ह भोजन बच्चों का कानूनी अधिकार भी है। इस योजना का मुख्या उद्देश्य निम्न है -

एक - बुनियादी शिक्षा का लोकव्यापीकरण करना,

दो- स्कूल जाने वाले बच्चों के सही विकास के लिए पोषण स्तर को ऊपर उठाना।

जिम्मेदार विभाग - भारत सरकार के स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है। अलग-अलग राज्यों में इसके क्रियान्वयन की व्यवस्था अलग-अलग है। मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय निकाय विभाग इसका क्रियान्वयन करते हैं।

खाद्य सुरक्षा भत्ता - यदि किसी कारण से बच्चों को मध्यान्ह भोजन नहीं मिलता है, तो उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का अधिकार है। इस भत्ते में उन्हें अपनी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न और पकाने की लागत अगले महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध करवाई जायेगी।

मध्यान्ह भोजन योजना के तहत दी जाने वाली सेवाएं

मध्यान्ह भोजन योजना के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, जिसका विवरण निम्न है -

सामग्री	मात्रा	
	प्राथमिक शाला के लिए (लागत – 4.13 रूपए – दूध के साथ)	**माध्यमिक शाला के लिए (लागत – 6.18 रूपए –दूध के साथ)**
अनाज (राशन दुकान से मुफ्त मिलता है।)	100 ग्राम	150 ग्राम
दाल	20 ग्राम	30 ग्राम
सब्जियां	50 ग्राम	75 ग्राम
खाने का तेल/वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
नमक और मसाले	जरूरत के मुताबिक	जरूरत के मुताबिक
ईंधन	जरूरत के मुताबिक	जरूरत के मुताबिक

मध्यान्ह भोजन योजना की सामुदायिक निगरानी

मध्यान्ह भोजन योजना के तहत स्कूल के स्तर पर शाला प्रबंधन समिति को निगरानी के अधिकार दिए गए हैं। यह समिति समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है. इसके साथ ही स्कूल के शिक्षक और अन्त्योदय राशन कार्ड धारी व्यक्ति को भी निगरानी के लिए अधिकार दिए गए हैं। हर स्कूल में पके हुए भोजन की जांच/चखने के लिए रोस्टर बनाया जाता है, ताकि अलग अलग लोग हर रोज भोजन चख कर जांच करें। ग्राम स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति भी योजना की निगरानी करेगी।

मध्यान्ह भोजन का सोशल आडिट

मध्यान्ह भोजन योजना में क्या जांच की जायेगी

- स्कूल में बच्चों की उपस्थिति एवं भोजन का वितरण यानि कितने बच्चों को भोजन दिया गया
- भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता
- मध्यान्ह भोजन बनाने वाले स्वसहायता समूह का रिकार्ड

स्थानीय निकाय / स्कूल से (मध्यान्ह भोजन योजना) जानकारी

- समुदाय को जानकारी देने के लिए किये गए प्रयासों/सामग्री का विवरण, उसकी प्रति और उपयोग की प्रक्रिया
- स्कूल से बच्चों की उपस्थिति पंजी
- मध्यान्ह भोजन पंजी
- भोजन सामग्री का रजिस्टर/प्राप्ति/उपभोग की जानकारी

- मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदार समूहों (स्वयं सहायता समूह/स्वयं सेवी संस्था/केन्द्रीयकृत रसोई आदि) से सम्बंधित दस्तावेज
- बाल सभा/बच्चों के द्वारा की गयी समीक्षा/बच्चों द्वारा किये गए अंकेक्षण की जानकारी
- शाला प्रबंधन समिति के रिकार्ड/उनसे चर्चा

हकधारकों के संवाद और उनके अनुभव – तथ्यों/ वक्तव्य को दर्ज करना

- स्कूल में बच्चों के साथ संवाद
- शाला प्रबंधन समिति सदस्यों से संवाद
- स्कूल जाने वाले बच्चों के पालकों से संवाद

जानकारी का विश्लेषण एवं सामाजिक संपरीक्षा सभा में प्रस्तुत करना

उपरोक्त जानकारी एकत्र किये जाने के बाद उसका विश्लेषण किया जायेगा एवं प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी. प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार किये जाने के बाद इसे सामाजिक संपरीक्षा सभा में प्रस्तुत किया जायेगा और गांव के लोगों के विचार लिए जायेंगे. सामाजिक संपरीक्षा सभा में उभरकर आये बिंदुओं को रिपोर्ट में शामिल किया जायेगा और अंतिम रिपोर्ट बनायीं जायेगी.

जनसुनवाई का आयोजन

सामाजिक संपरीक्षा सभा में निकलकर आये मुख्य निष्कर्षों को जनसुनवाई में रखा जायेगा एवं सभी बिंदुओं का संबंधित अधिकारियों द्वारा निराकरण किया जायेगा. जिन बिंदुओं पर कोई निराकरण नही हो पाटा है उसे जिला शिकायत अधिकारी के समक्ष रखा जायेगा. जिला शिकायत निवारण अधिकारी इस मामले की सुनवाई करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे.

सामाजिक संपरीक्षा प्रपत्र - मध्यान्ह भोजन

संस्थागत अनुसूची - मध्यान्ह भोजन के सबंध में स्कूल व बच्चों से जानकारी

1. सामान्य जानकारी

गांव/बस्ती तथा पंचायत का नाम			स्कूल में जानकारी लेने की तारीख और माह	
स्कूल का नाम			जानकारी में शामिल शिक्षक का नाम	
विकास खंड			मध्यान्ह भोजन रसोइये का नाम	
जिला			शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का नाम	

2. एमडीएम पाने वाले और उपस्थिति पंजी में दर्ज बच्चों की जानकारी का समुदाय से मिलान (सभी बच्चों का या कक्षा अनुसार चुने हुए बच्चों का)

एमडीएम पंजी में दर्ज बच्चे का नाम,पिता का नाम जिन्होंने मध्यान्ह भोजन पाया	**बच्चे/परिवार के मुताबिक क्या बच्चे ने वास्तव में मध्यान्ह भोजन पाया?**	यदि कोई अंतर हो तो लिखें

3. रसोई घर एवं स्वछता की संपरीक्षा

3.1 रसोइये का नाम, जो नियुक्त हैं हाँ/नहीं

3.2 क्या वही रसोइये योजना के स्थान पर थे हाँ/नहीं

3.3 क्या रसोइये को भुगतान हर माह नियमित रूप से होता है? हाँ/नहीं

3.4 रसोई में खरीदी अनुसार (खरीदी रजिस्टर से मिलान) सामग्री मौजूद है हाँ/नहीं

3.5 क्या रसों में स्वच्छता है हाँ/नहीं

3.6 क्या स्कूल में पानी की व्यवस्था है हाँ/नहीं

3.7 क्या स्कूल में शौचालय है हाँ/नहीं

3.8 यदि हाँ तो क्या उसकी सफाई होती है हाँ/नहीं

4. शाला प्रबंधन समिति की भूमिका की संपरीक्षा (शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों और उनके पदों के नाम पढ़िए)

एसएमसी सदस्य का नाम	पद	क्या उन्हें समिति के बारे में पता है?	क्या वे मध्यान्ह भोजन की तैयारी/वितरण के काम को देखने जाते हैं? यदि हाँ तो पिछले छः माह में कितनी बार गए?	क्या मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, नियमितता, बच्चों को भोजन कराने आदि की व्यवस्था से वे संतुष्ट हैं?

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत बनी सतर्कता समिति की भूमिका की संपरीक्षा

(समिति के बैठक रजिस्टर का अध्ययन करिये और उसमें दर्ज जानकारी का अध्ययन करके मुख्य बिंदु लिख लीजिए)

सतर्कता समिति सदस्य का नाम	पद	क्या उन्हें समिति के बारे में पता है?	क्या वे मध्यान्ह भोजन की तैयारी/वितरण के काम को देखने जाते हैं? यदि हाँ तो पिछले छः माह में कितनी बार गए?	क्या मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, नियमितता, बच्चों को भोजन कराने आदि की व्यवस्था से वे संतुष्ट हैं?

बच्चों से चर्चा (10 से 15 बच्चे – सभी वर्ग एवं कक्षा के)

1. गांव का नाम ---------- स्कूल का नाम ----------

2. बच्चों के नाम एवं कक्षा

क्र	नाम	कक्षा

3. बच्चों से मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर चर्चा करें

क्र.	विषय	संख्यात्मक या हाँ/नहीं उत्तर	किसकी जिम्मेदारी	संतोषजनक	औसत	असंतोषजनक
1	स्कूल में नियमित मध्यान्ह भोजन प्राप्त होता है?					
2	स्कूल में मध्यान्ह भोजन का मीनू हर दिन बदलता है?					
3	मध्यान्ह भोजन की मात्रा कितनी होती है ? पर्याप्त या अप्रयाप्त					
4	मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता कैसी है ?					
5	मध्यान्ह भोजन में सभी बच्चे शामिल होते है ?					
6	मध्यान्ह भोजन सभी बच्चे एक साथ एक ही स्थान पर करते है ?					
7	स्कूल में पीने के					

	पानी की व्यवस्था कैसी है?					
8	स्कूल में शौचालय की व्यवस्था कैसी है?					

4. अन्य कोई बात जो बच्चे बताना चाहें .....

चर्चा करने वाले व्यक्ति का नाम व हस्ताक्षर .....दिनांक .....

समूह चर्चा अनुसूची – मध्यान्ह भोजन (1 गांव में एक - कम से कम 10 व्यक्ति जिसमें आधी महिलाएं हों व सभी श्रेणी सदस्य हों)

सामान्य जानकारी -

जिले का नाम ..... विकासखंड का नाम गांव का नाम .....

मोहल्ले का नाम स्कूल का नाम .....प्रधानाध्यापक का नाम.....

चर्चा में शामिल पालकों के नाम .....

संकेतक - बहुत अच्छा - 75 % से अधिक अच्छा - 50-75 % मध्यम – 25-50 % खराब 25 % से कम

क्र	सामाजिक संपरीक्षा के अनिवार्य विषय	किसकी जिम्मेदारी है?	संख्यात्मक या हाँ-1 नहीं- 2	जहाँ हाँ या नहीं में उत्तर न हो (बहुत अच्छा – 1, अच्छा-2, मध्यम–3 खराब – 4)
	जानकारी का स्तर और सहभागिता			
1.	क्या लोगों को पता है कि मध्यान्ह भोजन योजना अब खाद्य सुरक्षा क़ानून का हिस्सा है?	स्थानीय निकाय / स्कूल		
2.	क्या उन्हें पता है कि 6 से 14 वर्ष के आयुवर्ग और सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले आठवीं कक्षा तक के हर बच्चे को दोपहर के भोजन का अधिकार है?	स्थानीय निकाय / स्कूल		
3.	क्या गांव/बस्ती के स्कूल में मध्यान्ह भोजन नियमित रूप से मिलता है? (स्कूल अवकाश छोड़ कर)	स्थानीय निकाय / स्कूल		
4.	क्या उन्हें पता है कि इस योजना में सप्ताह के दिनों में बदल-बदल कर गरम पका हुआ भोजन मिलना चाहिए?	स्थानीय निकाय / स्कूल		
5.	क्या लोगों को पता है कि भोजन पकाने का काम किस स्वयं सहायता समूह को दिया गया है?	स्थानीय निकाय / स्कूल / जनपद पंचायत		
6.	क्या उन्हें पता है कि यदि मध्यान्ह भोजन से बच्चे वंचित रह जाएँ, तो उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता मिलेगा?	स्थानीय निकाय / स्कूल / जनपद पंचायत		
	वंचितपन			
7.	क्या स्कूल में सभी बच्चों को एकसाथ मध्यान्ह भोजन कराया जाता है ?	स्थानीय निकाय / स्कूल / जनपद		
8.	क्या स्कूल में ऐसे बच्चे हैं, जो स्कूल में नियमित रूप से मध्यान्ह भोजन नहीं खाते हैं?	स्थानीय निकाय / स्कूल / जनपद		
बुनियादी व्यवस्थाएं				
9.	क्या स्कूल / स्कूलों में सुरक्षित और साफ़ रसोई घर है? हाँ/नहीं	स्थानीय निकाय / स्कूल / शाला प्रबंधन समिति		

10.	क्या स्कूल में पीने के साफ़ पानी की व्यवस्था है? हाँ/नहीं	स्थानीय निकाय / स्कूल / शाला प्रबंधन समिति		
11.	क्या सभी बच्चों के लिए पीने के पानी की एक समान व्यवस्था है?	स्थानीय निकाय / स्कूल / शाला प्रबंधन समिति		
12.	क्या स्कूल में शौचालय की व्यवस्था है? हाँ/नहीं	स्थानीय निकाय / स्कूल / शाला प्रबंधन समिति		
13.	सह-शिक्षा स्कूल होने पर क्या लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था है?	स्थानीय निकाय / स्कूल / शाला प्रबंधन समिति		
14.	यदि शौचालय है, तो क्या उसकी नियमित रूप से सफाई होती है? हाँ/नहीं	स्थानीय निकाय / स्कूल / शाला प्रबंधन समिति		
15.	स्कूल में मिलने वाला भोजन स्वादिष्ट और अच्छी गुणवत्ता का है?	स्थानीय निकाय / स्कूल / शाला प्रबंधन समिति		
16.	क्या स्कूल में हर रोज हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध रहता है?	स्थानीय निकाय / स्कूल / शाला प्रबंधन समिति		
शिकायत निवारण, निगरानी और सतर्कता व्यवस्था				
17.	क्या उन्हें पता है कि इस क़ानून के तहत बनी सतर्कता समिति इस योजना की भी निगरानी करेगी?	स्थानीय निकाय / स्कूल		
18.	पिछले एक साल में सतर्कता समिति ने स्कूल का भ्रमण कितनी बार किया?	स्कूल / सतर्कता समिति		
19.	क्या स्थानीय निकाय और शाला प्रबंधन समिति मध्यान्ह भोजन योजना की निगरानी करती है?	स्थानीय निकाय / शाला प्रबंधन समिति		
20.	क्या लोगो को पता है कि कोई समस्या या शिकायत होने पर कहाँ संपर्क किया जाना है?	स्कूल / स्थानीय निकाय		
21.	क्या उन्होंनें कोई शिकायत दर्ज कराई? हाँ / नहीं	स्कूल / स्थानीय निकाय		
22.	यदि हाँ, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही हुई? हाँ / नहीं	स्कूल / स्थानीय निकाय / शिकायत निवारण अधिकारी		
23.	क्या इस योजना के मुताबिक तय मानकों के अनुसार रसोइयों की पूरी संख्या में नियुक्ति हुई है? हाँ / नहीं	स्थानीय निकाय / स्कूल / शाला प्रबंधन समिति		
24.	क्या ग्राम सभा की बैठक में मध्यान्ह भोजन के विषय में चर्चा हुई?	स्थानीय निकाय		
25.	क्या रसोइयों को भोजन पकाने का मानदेय नियमित रूप से सही समय पर और पूरा मिलता है? हाँ/नहीं			

समूह चर्चा कराने वाले सदस्य का नाम ..... दिनांक .....

सामाजिक संपरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप – मध्यान्ह भोजन योजना

मध्यान्ह भोजन वितरण की स्थिति				
स्कूल में दर्ज बच्चे का नाम (14 वर्ष की उम्र तक)	पात्रता के अनुसार कितने दिन मध्यान्ह भोजन मिलना चाहिए था?	वास्तव में कितने दिन मध्यान भोजन प्राप्त हुआ?	रिकार्ड के अनुसार कितने दिन मध्यान्ह भोजन दिया गया?	गुणवत्ता के बारे में राय

मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के बारे में जानकारी – एक वर्ष के लिए			
मध्यान्ह भोजन के लिए पीडीएस से राशन मिलने की तारीख	अवधि, जिसके लिए राशन मिला	मात्रा	अंत में शेष

योजना के क्रियान्वयन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं			
बिंदु	उपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध, पर उपयोगी या उपयोग में नहीं
भोजन पकाने के लिए रसोई घर			
भोजन पकाने के बर्तन			
पीने के साफ़ पानी का स्रोत			
भोजन करने के लिए बर्तन			
बैठने की व्यवस्था			

सामाजिक संपरीक्षा का क्रियान्वयन – मातृत्व हक (प्रधानमन्त्री मातृत्व वंदना योजना)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एवं मातृत्व हक़

खाद्य सुरक्षा एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जीवन चक्र के व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गयी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए मातृत्व के समय पोषण सुरक्षा के लिए आंगनबाड़ी से टेकहोम राशन गर्भवती एवं धात्री माताओं को उपलब्ध कराया जाता है. गर्भावस्था के समय खास पोषण एवं स्वस्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना शुरू की गयी है. मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से लागु की गयी है.

इस योजना का मुख्य मकसद है –

- नकद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाना
- गर्भवती महिलाओं की मजदूरी के हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करना ताकि प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं पश्चात् उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके.

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभ

- इस योजना के तहत 1 जनवरी 2017 की स्थिति में जो गर्भवती व धात्री माताएं पात्र होंगी, वे प्रथम जीवित जन्म उपरांत योजना की पात्र हितग्राही होंगी.
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका, आशा भी निर्धारित पात्रता पूर्ण करने पर योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी.
- सभी सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केंद्र व राज्य सरकारों के) कर्मचारी या किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करने वाले सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी योजना के तहत लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे.

पात्रता शर्तें

- महिला की आयु 19 वर्ष या इससे अधिक हो।
- प्रसव संस्थागत हो।

- योजना के अन्तर्गत लाभ केवल एक जीवित जन्में बच्चों तक ही दिया जायेगा चाहे बच्चा किसी भी लिंग का क्यों न हो।
- आधार पहचान होने पर ही लाभ मिलेगा।
- बच्चों के टीकाकरण पर ही लाभ मिलेगा।

इस योजना का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा पर गर्भपात व मृत जन्म के मामलों में लाभार्थी को भविष्य में गर्भवस्था की स्थिति में दूसरी या तीसरी किस्तों का लाभ मिल सकेगा यानि यदि किसी लाभार्थी को योजना के तहत पहली किस्त प्राप्त होने के बाद गर्भपात या मृत जन्म होता है तो उसे भविष्य में गर्भावस्था की स्थिति में दूसरी और तीसरी किस्त का लाभ प्राप्त होगा. इसी तरह यदि पहली और दूसरी किस्त प्राप्त होने के वाद गर्भपात या मृत जन्म होता है तो तीसरी किश्त प्राप्त करने की पात्रता होगी.

शिशु मृत्यु के मामलों में भी केवल एक बार ही लाभ की पात्रता होगी. यानि इस योजना के तहत सभी किश्तें प्राप्त करने के बाद यदि शिशु की मृत्यु हो जाती है तो भविष्य में दोबारा गर्भावस्था की स्थिति में दोबारा लाभ प्राप्त नहीं होगा.

पुराने मातृत्व लाभ के लिए पंजीकृत ऐसे हितग्राही जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एवं जननी सुरक्षा के तहत मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए शर्तें पूरी करते हों और पुराणी योजना के तहत पहली किश्त प्राप्त कर चुके हैं, वे भी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत तीसरी किश्त प्राप्त करने के लिए पात्र हैं. जिन्हें कोई किश्त पुरानी योजना के तहत नहीं प्राप्त हुई है वे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पंजीकृत किये जा सकेंगे. योजना के तहत निम्न लाभ प्राप्त होंगे –

क्र	किश्त	शर्तें	राशि	सत्यापन स्रोत
1	प्रथम किश्त	गर्भावस्था के शीघ्र पंजीयन करने पर (के 150 दिन के अन्दर)	1000.00	एम सी पी कार्ड – ए एन एम्/ए ओ द्वारा प्रमाणित
2	दितीय किश्त	गर्भावस्था के 6 माह तक न्यूनतम 1 प्रसवपूर्व जांच कराने पर (के 180 दिवस के पश्चात्)	2000.00	एम सी पी कार्ड – ए एन एम्/ए ओ द्वारा प्रमाणित
3	तृतीय किश्त	नवजात शिशु के जन्म उपरांत पंजीयन कराने पर शिशु को , , 1,2,3, का निर्धारित समयसीमा में टीकाकृत कराने पर	2000.00	शिशु के जन्म प्रमाणपत्र की छायाप्रति एम सी पी कार्ड – ए एन एम्/ए ओ द्वारा प्रमाणित
	कुल		5000.00	
संस्थागत् प्रसव के बाद मातृत्व लाभ के मान्य नियमों के अनुरूप 1000/रु की राशि दी जाएगी। इस तरह कुल रु 6000 की राशि दी जाएगी				

लाभ प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया

- गर्भवती महिला को आंगनबाड़ी में पंजीयन करना होगा.
- आवेदन और दस्तावेज आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका को जमा करना
- ए एन एम तथा आशा द्वारा पात्र हितग्राहियो की जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज का एकत्रीकरण किया जाएगा
- अगर लाभार्थी का बैंक एकाउंट नहीं है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका बैंक एकाउंट खुलने में मदद करेगी.
- गर्भवती महिला के बचत बैंक खाते में राशि जमा की जाएगी
- तीनो किश्तों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा.

प्रथम किश्त के आवेदन के लिए दस्तावेज

- प्रपत्र ए में आवेदन
- मातृ और बाल सुरक्षा कार्ड
- हितग्राही और उसके पति का आधार कार्ड (आधार कार्ड ना होने पर वैकल्पिक आई डी के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा)
- हितग्राही के खाते का विवरण

दूसरे किश्त के आवेदन के लिए दस्तावेज

- प्रपत्र बी में आवेदन
- मातृ और बाल सुरक्षा कार्ड की प्रतिलिपि

तीसरी किश्त के आवेदन के लिए दस्तावेज

- प्रपत्र सी में आवेदन
- बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
- मातृ और बाल सुरक्षा कार्ड की प्रतिलिपि

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की निगरानी

जिला स्तर

इस योजना की निगरानी हेतु जिला स्तर पर एक सेल एवं समिति का गठन किया जाना है. जिला स्तरीय सेल में जिला कार्यक्रम अधिकारी – महिला एवं बाल विकास नोडल अधिकारी होंगे, जिले के सास्त बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक सदस्य होंगे. जिला स्तरीय समिति में जिला कलेक्टर अध्यक्ष होंगे व ज़िला कार्यक्रम अधिकारी सचिव होंगे. मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी, अग्रणी बैंक, प्रधान डाकघर के अधिकारी, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य होंगे. अध्यक्ष के द्वारा आमंत्रित अन्य सदस्य भी हो सकते हैं. इस समिति की बैठक हर माह होगी.

परियोजना स्तर

परियोजना स्तर पर निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अनुविभागीय अधिकारी अध्यक्ष व बाल विकास परियोजना अधिकारी सचिव होंगे. परियोजना क्षेत्र के समस्त सुपरवाइजर सदस्य होंगे. के द्वारा आमंत्रित अन्य सदस्य भी हो सकते हैं. इस समिति की बैठक हर माह होगी.

ग्राम स्तर पर

गाँव स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठकों में योजना की निगरानी की जाएगी. योजना की समीक्षा में डाकघर के प्रभारी एवं बैंक के शाखा प्रबंधक को भी शामिल किया जायेगा. समिति की बैठक हर माह होगी.

सामुदायिक निगरानी

इस योजना की सामुदायिक निगरानी हेतु ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति सशक्त है. समिति की हर बैठक में इस योजना के तहत पात्र माताओं के संबंध में चर्चा की जाना चाहिए एवं योजना से जोड़ने के लिए हर आवश्यक कदम उठाये जाने हेतु संबंधित कार्यकर्त्ता से बातचीत की जाना चाहिए. साथ ही ग्रामसभा में भी योजना की समीक्षा की जा सकती है. इसके अलावा गाँव में गठित महिला स्व-सहायता समूहों के द्वारा भी योजना पर नजर रखी जा सकती है.

प्रधानमन्त्री मातृत्व वंदना योजना एवं सामाजिक संपरीक्षा

मातृत्व हक़ के सामाजिक संपरीक्षा हेतु खाद्य सुरक्षा कानून में प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत मिलने वाली सेवाओं व सुबिधाओं की सामाजिक संपरीक्षा की जायगी ताकि योजना के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों को समय से दूर किया जा सके व योजना की क्रियान्वयन में पारदर्शिता आये.

इस योजना में क्या जांचा परखा जायेगा

- योजना के तहत पंजीकृत गर्भवती व धात्री माताओं की संख्या – क्या कोई वंचित तो नहीं है
- प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात् जांचों की संख्या – क्या सभी दर्ज माताओं की जाँच हो रही है
- संस्थागत प्रसव एवं प्रसव सेवाओं की गुणवत्ता
- नवजात शिशु की देखभाल सेवाएँ एवं टीकाकारण की स्थिति
- किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है!

इसके साथ ही योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ रचनात्मक संवाद करना।

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संवाद
- ए एन एम् से संवाद
- ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति सदस्यों से संवाद
- सतर्कता समिति एवं योजना के तहत गठित समितियों से संवाद

हकधारकों के संवाद और उनके अनुभव – तथ्यों/ वक्तव्य को दर्ज करना

- गर्भवती माताओं से चर्चा
- धात्री माताओं से चर्चा

महिला एवं बाल विकास विभाग (बच्चों और गर्भवती-धात्री महिलाओं का पोषण आहार) से जानकारी

- समुदाय को जानकारी देने के लिए किये गए प्रयासों/सामग्री का विवरण, उसकी प्रति और उपयोग की प्रक्रिया
- आंगनवाड़ी से दर्ज गर्भवती-धात्री महिलाओं की सूची वाला रजिस्टर
- डाकघर एवं बैंक से भुगतान का विवरण

सामाजिक संपरीक्षा प्रपत्र - प्रधानमन्त्री मातृत्व वंदना योजना

परिवार अनुसूची -मातृत्व हकों की स्थिति

(उन महिलाओं/परिवारों से संवाद करें, जिनके यहाँ एक साल या इससे कम उम्र के बच्चे हैं या इस अवधि में उनके यहाँ कोई प्रसव हुआ)

जिले का नाम ..... ब्लाक का नाम .....
पंचायत का नाम ..... गाँव का नाम .....
उत्तरदाता महिला का नाम ..... पति का नाम .....
उम्र ..... शिक्षा .....
व्यवसाय (शासकीय नौकरी, स्वायत्त निकाय में नौकरी, अन्य नौकरी, दूकान, खेती, मजदूरी, अन्य) – सही का निशान लगाएं.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मिले लाभ का विवरण

क्र.	**सेवाएँ व सुविधाएँ**	**हाँ-1 नहीं-2**
1.	क्या गर्भावस्था का पता चलते ही पंजीयन हुआ?	
2.	क्या मातृ शिशु रक्षा कार्ड बना?	
3.	क्या टिटनेस के टीके लगे?	
4.	क्या आयरन-फोलिक एसिड की गोलियाँ मिलीं?	
5.	क्या आंगनवाड़ी के नियमित रूप से टेक होम राशन/पोषण आहार मिलता रहा?	
6.	क्या नियमित रूप से (कम से कम चार) स्वास्थ्य जांचें हुईं?	
7.	आपके बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? अस्पताल -1, निजी अस्पताल -2, घर में - 3, अन्य - 4 (स्पष्ट करें)	
8.	यदि अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ तो कोई कठिनाई आई यदि हाँ तो क्या समय से सेवा नहीं मिली-1, स्टाफ का व्यवहार अच्छा नहीं था-2, दवा नहीं मिली-3, पैसे देने पड़े-4, अन्य 5 (स्पष्ट करें)	

9.	क्या आपको मातृत्व सहायता के रूप में आर्थिक मदद मिली?	
10.	यदि हाँ, तो कितनी? सामने वाले कालम में राशि लिखें.	
11.	क्या मातृत्व सहायता के रूप में आर्थिक मदद हेतु कोई कठिनाई आई?	
12.	यदि हाँ तो क्या कठिनाई आई?	
13.	मातृत्व अवस्था में तबियत खराब होने पर स्वस्थ्य सेवा मिली ?	
14.	कोई अन्य बात जो महिला कहना चाहे	

सहजकर्ता का नाम .....दिनांक .....

सामाजिक संपरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप – प्रधानमन्त्री मातृत्व वंदना योजना

मातृत्व हक हासिल होने की स्थिति							
महिला का नाम	महिला की उम्र	गर्भावस्था का पंजीयन हुआ या नहीं?	मातृत्व शिशु सुरक्षा कार्ड बना या नहीं? तारीख	मातृत्व हक की राशि प्राप्त हुआ या नहीं – प्रथम किश्त	दूसरी किश्त	तीसरी किश्त	अनुभव

मातृत्व हक से वंचित महिलाओं की जानकारी			
महिला का नाम	मातृत्व हक क्यों जरूरी था?	अपात्र होने का कारण	लाभ न मिलने से क्या असर पड़ा?

10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की सामुदायिक निगरानी के लिए प्रारूप

सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन व्यवस्था / जिम्मेदार विभाग – खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग	
अधिकार क्या है	• **प्राथमिकता श्रेणी** - इसके तहत हर प्राथमिकता श्रेणी वाले परिवार को हर माह 5 किलो प्रति व्यक्ति के मान से राशन मिलेगा। • **अन्त्योदय श्रेणी** – प्रदेश में जो सबसे वंचित और गरीब परिवार होंगे, उन्हें अन्त्योदय की श्रेणी में रख जायेगा। इन परिवारों को हर माह 35 किलो अनाज प्रति परिवार के मान से मिलेगा। कीमत वही रहेगी, जो प्राथमिकता परिवारों के लिए तय है। • यदि राज्य सरकार चाहेगी तो लोगों को इससे ज्यादा मात्रा में भी अनाज दे सकती है। • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत जो अनाज मिलेगा उसकी कीमत इस प्रकार होगी – बारीक अनाज (1 रूपए प्रति किलो) / गेहूं (2 रूपए प्रति किलो / चावल 3 रूपए प्रति किलो)। • राज्य सरकार चाहेगी तो इस कीमत को और कम कर सकती है।
अधिकार कैसे मिलेंगे?	• प्राथमिकता श्रेणी वाले परिवार की पहचान करना होगी। • प्राथमिकता श्रेणी वाले परिवारों में से ही लगभग एक चौथाई परिवार अन्त्योदय की श्रेणी में शामिल किये जायेंगे। • चयनित व्यक्तियों को स्थानीय राशन की दुकान के जरिये खाद्य सुरक्षा का हक मिलेगा। • खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग अन्य विभागों (खास तौर पर ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर) के साथ समन्वय करके उन समूहों की पहचान की है, जिन्हे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत हक दिए जायेंगे। (सूची परिशिष्ट में है।) • यह सूची हर पंचायत और ग्राम सभा को भेजी जायेगी ताकि वे इसका सत्यापन कर सकें और देखें कि कोई पात्र परिवार हक से वंचित न रह जा रहा हो। वहां पर दावा और आपत्ति की प्रक्रिया की जायेगी। • एक ऐसी व्यवस्था बनाना, जिससे कोई भी पात्र परिवार अपना नाम इस क़ानून के लाभार्थियों की सूची में आसानी से जुडवा सके। • मध्यप्रदेश सरकार का निर्णय है कि यदि कोई व्यक्ति किसी माह में अपने हक का राशन नहीं ले पता है, तो अगले माह वह इस राशन को ले सकता है। इस तरह तीन माह तक इकठ्ठा अनाज लेने की पात्रता उसे होगी।
राज्य स्तर पर	• खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग अन्य विभागों (खास तौर पर ग्रामीण विकास विभाग, शहरी

भूमिका किसकी है और क्या ?	विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर) के साथ समन्वय करके उन समूहों की पहचान की है, जिन्हे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत हक दिए जायेंगे। (सूची परिशिष्ट में है।) • यह सूची हर पंचायत और ग्राम सभा को भेजी जायेगी ताकि वे इसका सत्यापन कर सकें और देखें कि कोई पात्र परिवार हक से वंचित न रह जा रहा हो। वहां पर दावा और आपत्ति की प्रक्रिया की जायेगी। • एक ऐसी व्यवस्था बनाना, जिससे कोई भी पात्र परिवार अपना नाम इस क़ानून के लाभार्थियों की सूची में आसानी से जुडवा सके। • मध्यप्रदेश सरकार का निर्णय है कि यदि कोई व्यक्ति किसी माह में अपने हक का राशन नहीं ले पता है, तो अगले माह वह इस राशन को ले सकता है। इस तरह तीन माह तक इकठ्ठा अनाज लेने की पात्रता उसे होगी।
जिला स्तर पर क्या भूमिका है और किसकी?	• जिला स्तर पर जिला खाद्य अधिकारी / जिला आपूर्ति अधिकारी नियुक्त हैं। जो हर राशन की दुकान पर दर्ज पात्र लोगों की संख्या के आधार पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। • आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के मुताबिक इन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे राशन की दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहे। • यह सुनिश्चित करना कि कोई भी नया व्यक्ति या परिवार सूची में नाम जुडवाने के लिए आवेदन कर सके और पात्र होने पर अधिकतम 30 दिन में उसका नाम सूची में जुड जाए।
क्रियान्वयन स्तर पर (राशन की दुकान और स्थानीय निकाय) किसकी भूमिका है और क्या?	• स्थानीय निकाय (गांव में पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय) पात्र परिवारों की पहचान में भूमिका निभाएंगे। • स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी है कि वे राशन प्रणाली की निगरानी करें, पात्र लोगों के नाम सूची में जुडवाने में प्रेरक की भूमिका निभाएं और सतर्कता समिति को सक्रीय करें। • राशन प्रणाली से सम्बंधित जानकारियों को स्व-प्रेरणा से सार्वजनिक करें और किसी के द्वारा मांगे जाने पर उसे उपलब्ध करवाएं। • सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया का संचालन करना।
समुदाय स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा में क्या जांचें?	• सभी पात्र परिवारों के नाम प्राथमिकता परिवारों की सूची में शामिल हुए। • क्या लोगों को किश्तों में या किसी माह में अनाज न ले पाने की स्थिति में अगले माह में अनाज मिला या नहीं?
सतर्कता और निगरानी की भूमिका	• राशन दुकान के स्तर पर बनी सतर्कता समिति यह देखेगी कि कोई पात्र व्यक्ति वंचित न हो और अपात्र इसमें शामिल न हो। • इसके साथ ही विकास खंड स्तर पर भी सतर्कता समिति का गठन किया गया है। • ये दोनों समितियां परिवारों के पहचान के बारे में सम्बंधित अधिकारी को जानकारी देकर शिकायत/आपत्ति के निवारण के लिए कह सकती हैं।
जिला स्तर पर शिकायत निवारण	• क़ानून के तहत जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। • यदि किसी की आपत्ति या शिकायत का निवारण नहीं होता है तो वह जिले पर शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत कर सकता है। हर शिकायत की पावती जरूर दी जाना चाहिए।

अधिकारी की भूमिका	• जैसे मध्यप्रदेश में नियम है कि 30 दिन में वे शिकायत का निवारण करेंगे और शिकायतकर्ता को लिखित में सूचित करेंगे।
राज्य खाद्य आयोग	• क़ानून के मुताबिक राज्य स्तर पर राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। • यह आयोग खाद्य सुरक्षा क़ानून से सम्बंधित हर प्रावधान पर सुनवाई और कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है।
अधिकार क्या है – पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल होना	
अधिकार कैसे मिलेंगे?	• राज्य सरकार ने सबसे पहले यह तय किया है कि कौन से वर्ग और परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून में शामिल होंगे; पहले हम उन्हें जान लें। • राज्य सरकार उनकी जिलावार सूची बनाएगी। • ग्राम सभा और जिला स्तरीय सूची में नाम शामिल होगा। • पात्रता का सत्यापन होगा ताकि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो या किसी का नाम दो बार सूची में दर्ज न कर दिया जाए।
राज्य स्तर पर भूमिका किसकी है और क्या ?	• पंचायत/ग्राम सभा/नगरीय निकाय की प्रक्रिया के बाद यदि सूची में कोई बदलाव होते हैं, तो राज्य स्तरीय सूची में भी उसी के मुताबिक बदलाव किये जायेंगे। • यह सूची खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा वेबसाईट पर डाली जायेगी।
जिला स्तर पर क्या भूमिका है और किसकी?	• इस सूची में जिलों के स्तर पर ही अधिकृत अधिकारी द्वारा बदलाव किये जा सकेंगे। • ये बदलाव निर्धारित प्रक्रिया के बाद होंगे।
क्रियान्वयन स्तर पर (राशन की दुकान और स्थानीय निकाय) किसकी भूमिका है और क्या?	सूची का समय-समय पर नवीनीकरण किया जायेगा।
समुदाय स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा में क्या जांचें?	• इस सूची को सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किया गया। • यदि कोई दावा या आपत्ति थी, तो उसका सही निश्चित समय में और संतोषजनक तरीके से निराकरण किया गया।
सतर्कता और निगरानी की भूमिका	यदि कोई वंचित तबका इस क़ानून के दायरे में नहीं है, तो सतर्कता समिति के माध्यम से भी उन्हें सूची में शामिल करने की प्रक्रिया चलाई जा सकती है।
जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी की भूमिका	
राज्य खाद्य आयोग	
अधिकार क्या है - सूची में नाम शामिल होने के बाद	
अधिकार कैसे	• इस सूची के आधार पर राशन कार्ड जारी किया जायेगा।

मिलेंगे?	• यह कार्ड परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य या 18 साल से ज्यादा उम्र की महिला सदस्य के नाम से होगा। • यदि परिवार में कोई महिला 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की नहीं है, तब वरिष्ट पुरुष सदस्य के नाम से कार्ड जारी होगा।
राज्य स्तर पर भूमिका किसकी है और क्या ?	
जिला स्तर पर क्या भूमिका है और किसकी?	जिला स्तर पर सूची का नवीनीकरण होने के बाद यह सुनिश्चित किया जायेगा और निगरानी की जायेगी कि सभी पात्रों को खाद्य सुरक्षा मिले।
क्रियान्वयन स्तर पर (राशन की दुकान और स्थानीय निकाय) किसकी भूमिका है और क्या?	सूची के मुताबिक लोगों को सम्मानजनक तरीके से खाद्य सुरक्षा के हक का संरक्षण करना।
समुदाय स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा में क्या जांचें?	• सभी को खाद्य सुरक्षा क़ानून के मुताबिक उनके हक मिल रहे हैं, यह जांचना। • यदि निर्धारित मात्रा में अनाज नहीं मिलता है, तो खाद्य सुरक्षा भत्ता मिला या नहीं?
सतर्कता और निगरानी की भूमिका	• सतर्कता समिति यह निगरानी करेगी कि सभी को उनके हक का भोजन मिले और कोई भी गडबडी या विसंगति होने पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी के संज्ञान में लाएगी। • यह पूरी कार्यवाही लिखित में होना चाहिए।
जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी की भूमिका	• यदि कोई भी शिकायत है, तो लिखित या मौखिक रूप से जिला शिकायत निवारण अधिकारी तक पंहुचाई जायेगी। • उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह निश्चित समायवधि में पारदर्शी प्रक्रिया अपना कर शिकायत का निराकरण करे।
राज्य खाद्य आयोग	यदि किसी की शिकायत का निराकरण नहीं होता है या कोई व्यक्ति जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है; तो वह राज्य खाद्य आयोग को शिकायत कर सकेगा।
अधिकार क्या है - राशन की दुकान के सन्दर्भ में	
अधिकार कैसे मिलेंगे?	• यह क़ानून केवल अनाज के हक की बात नहीं करता है। यह क़ानून राशन व्यवस्था की जन-निगरानी, उसमे पारदर्शिता और जवाबदेयता के भी प्रावधान करता है। • स्थानीय निकाय (शहरी और ग्रामीण) अपने क्षेत्रों में इसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।
राज्य स्तर पर भूमिका किसकी है और क्या ?	• राज्य सरकार हर राशन की दुकान से जुड़े हुए पात्र लोगों की सूची या प्रचलित राशन कार्ड धारियों की सूची को सार्वजनिक करेगी / वेब साईट पर रखेगी। • यह सूची सूचना के अधिकार क़ानून के तहत मांगने पर भी उपलब्ध होगी। • राज्य सरकार राशन की दुकान से सम्बंधित हर जानकारी, यहाँ तक की राशन दुकान किस तरह से

	आवंटित की गयी, की भी जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी।
जिला स्तर पर क्या भूमिका है और किसकी?	जिला स्तर पर जिला खाद्य अधिकारी / जिला आपूर्ति अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राशन दुकान का आवंटन राज्य द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से हो, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के मुताबिक राशन दुकानों का संचालन हो।
क्रियान्वयन स्तर पर (राशन की दुकान और स्थानीय निकाय) किसकी भूमिका है और क्या?	• राशन की दुकान के जरिये पात्र परिवारों को उनके हक का राशन उपलब्ध करवाया जायेगा। • राशन दुकान हर रोज (छुट्टियों के दिन छोड़ कर) खुला चाहिए। • राशन दुकान के बाहर सभी जानकारियां बोर्ड पर दर्ज होना चाहिए। • सतर्कता समिति, ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के प्रतिनिधि या किसी भी हक धारक के द्वारा मांगे जाने पर राशन दुकान से सम्बंधित रिकार्ड दिखाए जाने चाहिए। • वहां लोगों के साथ सम्मानजनक और समानता पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। • वज़न तुलाई की व्यवस्था ऐसी होना चहिये कि वे खुद अनाज की मात्रा और वज़न मशीन की सूचना देख सकें।
समुदाय स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा में क्या जांचें?	• राशन दुकान के स्तर पर बनी सतर्कता समिति नियमित रूप से क़ानून के क्रियान्वयन पर निगरानी रखती है। • वह अपने अवलोकन और टिप्पणी को लिखित में दर्ज करेगी। • सतर्कता समिति की जिम्मेदारी है कि वह समय-समय पर खुद राशन की दुकान की जांच करती रहे और हितग्राहियों से बात करती रहे। • क्रियान्वयन से सम्बंधित कोई भी विसंगति, शिकायत या समस्या सामने आने पर, इसके बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करे।
सतर्कता और निगरानी की भूमिका	• राशन दुकान के स्तर पर बनी सतर्कता समिति नियमित रूप से क़ानून के क्रियान्वयन पर निगरानी रखती है। • वह अपने अवलोकन और टिप्पणी को लिखित में दर्ज करेगी। • सतर्कता समिति की जिम्मेदारी है कि वह समय-समय पर खुद राशन की दुकान की जांच करती रहे और हितग्राहियों से बात करती रहे। • क्रियान्वयन से सम्बंधित कोई भी विसंगति, शिकायत या समस्या सामने आने पर, इसके बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करे।
जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी की भूमिका	जिला शिकायत निवारण अधिकारी इस क़ानून और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राशन की दुकान के सही संचालन में भूमिका निभायेंगे और कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर बिना भेदभाव निश्चित समायवधि में उस पर कार्यवाही करेंगे।
राज्य खाद्य आयोग	• जमीनी स्तर से प्राप्त किसी भी शिकायत की सुनवाई करेंगे। • जरूरत पड़ने पर स्वतः संज्ञान लेंगे। • यदि किसी की शिकायत पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी सही कार्यवाही नहीं करते हैं, तो उस पर जांच और कार्यवाही करने की जिम्मेदारी राज्य खाद्य आयोग निभाएगा।
अधिकार क्या है - सतर्कता और निगरानी व्यवस्था	
अधिकार कैसे मिलेंगे?	• यह क़ानून मानता है कि लोगों के हकों का हनन नहीं होना चहिये। इसके लिए क़ानून के तहत चार स्तरों पर सतर्कता समिति के गठन का प्रावधान किया है।

	• वैसे तो इन समितियों का गठन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत हुआ है; परन्तु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून कहता है कि ये समितियां खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत आने वाली सभी योजनाओं की निगरानी और पर्यवेक्षण करेंगी। • राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस व्यवस्था के बारे में प्रदेश में व्यापक प्रचार-प्रसार करे।
राज्य स्तर पर भूमिका किसकी है और क्या ?	• राज्य स्तर पर राज्य सतर्कता समिति होगी। इसमें स्थानीय प्राधिकारी, अनुसूचित जाति-जनजाति, महिलाओं, निराश्रित व्यक्तियों और निःशक्त व्यक्तियों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। • जो लोग पात्र हैं और इस क़ानून के तहत हक़दार हैं, उन्हे भी इसमें शामिल किया जाना है। • शोध संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल कर सकती है ताकि यह और रचनात्मक भूमिका निभा सके।
जिला स्तर पर क्या भूमिका है और किसकी?	• जिला स्तर पर जिला सतर्कता समिति का गठन किया जायेगा। • इसके साथ ही विकासखंड स्तर पर भी सतर्कता समितियों का गठन किया जाना है। • क़ानून के किसी भी तरह के उल्लंघन, अनाचार और निधियों के दुरूपयोग के बारे में यह समिति जिला शिकायत निवारण अधिकारी को सूचित करेगी। • इन समितियों में संसद, विधायक और जिला पंचायत के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जिसमे स्थानीय प्राधिकारी, अनुसूचित जाति-जनजाति, महिलाओं, निराश्रित व्यक्तियों और निःशक्त व्यक्तियों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। • जो लोग पात्र हैं और इस क़ानून के तहत हक़दार हैं, उन्हे भी इसमे शामिल किया जाना है। • राज्य सरकार चाहे तो इसमे स्वयंसेवी संस्थाओं / संगठनों/ शोध संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल कर सकती है ताकि यह और रचनात्मक भूमिका निभा सके।
क्रियान्वयन स्तर पर (राशन की दुकान और स्थानीय निकाय) किसकी भूमिका है और क्या?	• हर राशन की दुकान के स्तर पर भी एक सतर्कता समिति बनायी जायेगी। • इसमें स्थानीय प्राधिकारी, अनुसूचित जाति-जनजाति, महिलाओं, निराश्रित व्यक्तियों और निःशक्त व्यक्तियों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। • जो लोग पात्र हैं और इस क़ानून के तहत हक़दार हैं, उन्हे भी इसमे शामिल किया जाना है। • क़ानून के किसी भी तरह के उल्लंघन, अनाचार और निधियों के दुरूपयोग के बारे में यह समिति जिला शिकायत निवारण अधिकारी को सूचित करेगी। • नियम कहता है कि माह की पहली तारीख से अनाज का वितरण किया जा सकता है। राशन दुकान अनिवार्य रूप से अनाज वितरण शुरू करने से पहले सतर्कता समिति को इसके बारे में जानकारी देगी।
समुदाय स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा में क्या जांचें?	• हमें यह देखना चाहिए कि क्या हर स्तर पर – राशन की दुकान से लेकर राज्य स्तर तक सतर्कता समिति का गठन हुआ या नहीं? • इसमे स्थानीय प्राधिकारी, अनुसूचित जाति-जनजाति, महिलाओं, निराश्रित व्यक्तियों और निःशक्त व्यक्तियों को बराबर प्रतिनिधित्व मिला या नहीं? • ये नियमित रूप से सक्रीय भूमिका निभा रहे हैं या नहीं? • क्या इन्होनें अपनी कार्यवाही को पंजीबद्ध किया है? • यदि इन्होनें अनाचार या क़ानून के उल्लंघन या निधियों के दुरूपयोग का कोई प्रकरण पाया, तो उस पर क्या कार्यवाही की?
सतर्कता और निगरानी की भूमिका	क़ानून के मुताबिक राज्य, जिला, ब्लाक और राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति बनना है, उसके क्या काम हैं और शक्तियां हैं; इन सबके बारे में समुदाय में बार-बार चर्चा होना चाहिए।

जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी की भूमिका	• राशन दुकान, विकासखंड और जिला स्तर की सतर्कता समितियां क़ानून के उल्लंघन के बारे में लिखित में सूचना जिला शिकायत निवारण अधिकारी को देंगी। • जिसकी यह जिम्मेदारी है कि वह निश्चित समय सीमा में उस पर कार्यवाही करे।
राज्य खाद्य आयोग	राज्य खाद्य आयोग भी सतर्कता समिति द्वारा प्रेषित शिकायतों और समस्याओं का संज्ञान ले सकेगा।
अधिकार क्या है - अनाज की व्यवस्था	
अधिकार कैसे मिलेंगे?	• केंद्र सरकार इस क़ानून के तहत हर राज्य को अनाज उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदार है। • केंद्र सरकार इस क़ानून के लिए अनाज की किसानों से खरीदी करेगी। यह खरीदी राज्य सरकार के अभिकरणों (जैसे राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, स्थानीय मंडी आदि) और केंद्र सर्कार के खुद के अभिकरणों (जैसे भारतीय खाद्य निगम) के जरिये होगी। • इस तरह खरीदा गया अनाज केन्द्रीय पूल में रख जायेगा और केंद्र सरकार हर राज्य में पात्र लोगों की संख्या के आधार पर इसका आवंटन करेगी। • केंद्र सरकार हर राज्य में चुने हुए डिपो तक यह अनाज परिवहन करवाएगी। अनाज के सही और सुरक्षित भण्डारण के लिए व्यवस्था बनाएगी। • यदि केंद्र सरकार अनाज नहीं दे पाए तो वह इस क़ानून के तहत उल्लिखित बाध्यताएं पूरी करने के लिए धन उपलब्ध करवाएगी।
राज्य स्तर पर भूमिका किसकी है और क्या	• केंद्र सरकार हर राज्य में अभिहित डिपो को आवंटन के मुताबिक खाद्यान के परिवहन की व्यवस्था करेगी। • इसके बाद राज्य सरकार जिलों और राशन की दुकान तक अनाज को पंहुचाने की व्यवस्था राज्य सरकार को करना होगी। • राज्य भीतर होने वाले अनाज परिवहन के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता देगी। • राज्य सरकार केंद्र सरकार के डिपो से अनाज उठाएगी और राशन की दुकान तक पंहुचायेगी। • यदि क़ानून में तय खाद्य सुरक्षा के अधिकार के मान से अनाज नहीं दे पायी तो खाद्य सुरक्षा भत्ता देगी। • वह राज्य, जिला और विकास खंड स्तर पर वैज्ञानिक भण्डारण (जिससे अनाज बर्बाद न हो) की व्यवस्था बनाएगी।
जिला स्तर पर क्या भूमिका है और किसकी?	• जिला और विकासखंड स्तर पर सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था होना चाहिए। • हर जिले की जरूरत (जितने लोग क़ानून के दायरे में हैं) के मुताबिक आवंटन होना चाहिए। • जिले में राशन की दुकान को तीन माह के लिए अनाज आवंटित किया जायेगा। इस तरह एक माह का अनाज वितरित होगा और दो माह का अग्रिम भण्डारण होगा। • राज्य सरकारें राशन की दुकानों को अलग-अलग तरीकों से आर्थिक मदद प्रदान करेंगी ताकि उन्हें घाटा न हो।
क्रियान्वयन स्तर पर (राशन की दुकान और स्थानीय निकाय) किसकी भूमिका है और	• राशन की दुकान को अनाज अग्रिम में दिया जायेगा। • एक माह का अनाज बांटने के बाद दो माह का अग्रिम अनाज उनके पास उपलब्ध होगा। • हर राशन दुकान के पास अनाज के भण्डारण की व्यवस्था हो, यह राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी। • राज्य सरकार यह व्यवस्था करेगी कि राशन की दुकान तक अनाज पंहुचा दिया जाए। • अब राशन की दुकानों को अनाज उठाने नहीं जाना होगा। अब राशन की दुकानों तक अनाज पंहुचाने

क्या?	की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इससे अनाज के गुम होने की सम्भावना कम होगी। • राशन केवल सम्बंधित परिवार के मुखिया या सदस्य को ही दिया जायेगा। • यदि कोई परिवार एक माह अपना अनाज नहीं उठा पाता है तो वह अगले माह के राशन के साथ उस छूटे हुए माह के अपने हक का राशन खरीद सकेगा।
समुदाय स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा में क्या जांचें?	• राशन की दुकान पर निर्धारित मात्रा में अनाज की उपलब्धता है? • अनाज से सम्बंधित रिकार्ड/पावतियां / रजिस्टर (वितरण पंजी और भंडार पंजी) सही तरीके से रखा गया है। • अनाज का वितरण शुरू करने से पूर्व सतर्कता समितियों को सूचना दी गयी? • यदि ऐसा लगता है कि राशन की दुकान या उसके परिसर में अनाज या राशन प्रणली के तहत मिले वाली सामग्री का दुरूपयोग किया जा रहा है या उसकी कालाबाजारी की गयी है; तब पीडीएस कंट्रोल आर्डर के हिसाब से जिम्मेदार अधिकारी (तहसीलदार या अनुविभागीय दंडाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तय अधिकारी) को कार्यवाही के लिए सूचित किया जायेगा। हमें देखना चाहिए कि इस तरह के प्रकरणों में सतर्कता समिति ने क्या भूमिका निभायी? • यदि निर्धारित मात्रा में अनाज नहीं मिलता है, तो खाद्य सुरक्षा भत्ता मिला या नहीं? • जहाँ अनाज का भंडारण किया जाता है, यानी गोदाम, उस स्थान को जाकर देखना और जानना कि अनाज सुरक्षित रूप से रखा गया है या नहीं है? वहां मात्रा और गुणवत्ता भी जाँची जा सकेगी।
सतर्कता और निगरानी की भूमिका	• सतर्कता समिति राशन की दुकान पर अनाज की गुणवत्ता, स्टाक, वितरण की स्थिति, अनाज की सुरक्षा आदि के नज़रिए से निगरानी कर सकेगी। • वह स्टाक और वितरण और आदेश से सम्बंधित दस्तावेजों की मांग कर सकती है और जांच भी कर सकती है। • हमें देखना है कि क्या सतर्कता समिति सक्रियता से अपनी भूमिका निभा रही है?
जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी की भूमिका	• अनाज के भंडार, वितरण, गुणवत्ता, रख रखाव में विसंगतियाँ आदि की स्थिति में जिला शिकायत निवारण अधिकारी कार्यवाही करने के लिए अधिकार संपन्न है। • यह देखना चाहिए कि जिला शिकायत निवारण अधिकारी ने अपनी भूमिका निभायी या नहीं?
राज्य खाद्य आयोग	राज्य खाद्य आयोग अनाज के भंडार, वितरण, गुणवत्ता, रख रखाव में विसंगतियाँ आदि की स्थिति में जांच कर सकता है और व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य सरकार को सुझाव देगा।

महिलाओं और बच्चों के पोषण के अधिकार – महिला एवं बाल विकास विभाग	
अधिकार क्या है? – आईसीडीएस की व्यवस्था के सम्बन्ध में	
अधिकार कैसे मिलेंगे?	आंगनवाड़ी केन्द्रों के जरिये {5}
राज्य स्तर पर भूमिका किसकी है और क्या ?	• मापदंडों के मुताबिक कार्यशील केन्द्रों की स्थापना और सकारात्मक नीति बनाना। • कार्यक्रम का समवर्ती / स्वतंत्र मूल्यांकन किये जाने की व्यवस्था करना। • राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपदाओं (सूखे, अकाल, प्राकृतिक, टकराव या दंगों) की स्थिति में बच्चों और महिलाओं को उनकी जरूरत को पूरा करने वाला पोषण आहार मिले।
जिला स्तर पर क्या भूमिका है और किसकी?	• जिला कार्यक्रम अधिकारी की भूमिका है कि वह कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी करें और विभागीय समन्वय को बढ़ावा दें और नियमित मूल्यांकन करें।
क्रियान्वयन स्तर आंगनवाड़ी केंद्र के स्तर पर किसकी भूमिका है और क्या?	• हम आंगनवाड़ी केंद्र पर एक कार्यकर्ता और एक सहायिका की नियुक्ति होगी। • हर गांव में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति होगी। यह पंचायत की समिति के रूप में काम करेगी। • इसे देखना है कि कौन से बच्चे कुपोषित हैं और सभी गर्भवती-धात्री महिलाओं को उनके हक मिल सकें। • किसी भी तरह के समस्या या आपदा की स्थिति में जिला अधिकारी को सूचित करना और यह सुनिश्चित करना कि बच्चों-महिलाओं को उनके हक मिलते रहे।
गांव / बस्ती में सामाजिक संपरीक्षा में क्या जांचें?	• मानदंडों के मुताबिक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित है या नहीं? • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका नियुक्त है या नहीं? • उनका प्रशिक्षण हुआ है या नहीं? • केंद्र में साबुन, खिलौने, बैठने की व्यवस्था और सामान, वज़न मशीन आदि हैं या नहीं?

[5] **ग्रामीण और शहरी क्षेत्र -** 400 से 800 की जनसँख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जायेगा। 800 से 1600 की जनसँख्या पर दूसरा केंद्र होगा। 1600 से 2400 की जनसँख्या पर तीसरा केंद्र होगा। इसके बाद हर 800 की जनसँख्या पर एक नया केंद्र होगा। 150 से 400 की जनसँख्या पर मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होगा। यह भी माना जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र 500 मीटर के दायरे में होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक हर बसाहट में केंद्र होना चाहिए।

आदिवासी/तटवर्ती/ पहाड़ी/रेगिस्तानी या अन्य दुर्गम क्षेत्र - 300 से 800 की जनसँख्या पर आंगनवाड़ी केंद्र होगा। 150 से 300 की जनसँख्या पर मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होगा।

	• ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति बनी है और अपनी भूमिका निभा रही है? • यदि आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, तो क्या समुदाय ने केंद्र की स्थापना के लिए मांग की?
सतर्कता और निगरानी	• स्थानीय (राशन दुकान के स्तर पर) पर बनी सतर्कता समिति भी यह देखेगी कि महिलाओं को पोषण आहार का हक मिल रहा है या नहीं? • यदि कोई समस्या है तो वह जिला शिकायत निवारण अधिकारी के संज्ञान में बात लाएगी।
जिला स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था	जिले पर नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी बच्चों और महिलाओं के लिए पोषण आहार कार्यक्रम के लिए भी जिम्मेदार होंगे। वे निश्चित समय सीमा ने शिकायतों का निराकरण करेंगे।
राज्य खाद्य आयोग	राज्य स्तर पर राज्य खाद्य आयोग भी इस विषय की निगरानी करेगा।
अधिकार क्या है? – गर्भवती महिलाओं और धात्री माता को स्थानीय आंगनवाड़ी से निःशुल्क भोजन मिलेगा। यानी यह सपष्ट है कि गर्भावस्था के नौ माह और शिशु के जन्म के बाद छह माह तक महिलाओं को पोषण आहार आपने की पात्रता होगी[6]।	
अधिकार कैसे मिलेंगे?	• आंगनवाड़ी के जरिये; इसमें प्राथमिकता या अन्त्योदय की श्रेणी लागू नहीं है। यह लाभ सभी महिलाओं को मिलेगा। • यह स्पष्ट करना होगा कि गर्भपात होने या मृत शिशु का जन्म होने पर भी महिला को पूरे हक मिलें। • प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में गर्भवती और धात्री महिलाओं को सीमित मात्रा के स्थान पर उनकी जरूरत को पूरा करने वाला पोषण आहार मिलना चाहिए। • आंगनवाड़ी में नियमित सर्वे और जानकारी के माध्यम से हर गर्भवती महिला का नाम पंजी में दर्ज किया जायेगा। यह जानकारी राज्य स्तरीय एम आई एस में मासिक प्रगति प्रतिवेदन के जरिये दर्ज होगी।
राज्य स्तर पर भूमिका किसकी है और क्या ?	• यह कार्यक्रम महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित होता है। अतः राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि समन्वय के लिए एक सुनियोजित और उत्तरदायी व्यवस्था बने, जिसमे विभागों के बीच आपसी समन्वय हो। • राज्य सरकार नियम बनाएगी ताकि नियमित रूप से महिलाओं को ये हक मिलें। • राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक सभी बसाहटों में आंगनवाड़ी केंद्र खोले ताकि लोकव्यापीकरण हो सके। • बेहतर होगा कि राज्य सरकार पोषण आहार कार्यक्रम की व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करे।

[6] हर गर्भवती-धात्री महिला को पोषण आहार का हक है। इसके लिए बसाहट (गांव / बस्ती / क्षेत्र) के हर घर का सर्वेक्षण किया जायेगा। इस तरह तीन तरह की जानकारियां हमारे सामने होंगी – हर घर के सर्वे से मिली जानकारी, इनमे से आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज महिलाओं की जानकारी, दर्ज महिलाओं में से पोषण आहार और जाँच की सेवाएं नियमित या अनियमित रूप से प्राप्त करने वाली महिलाओं की जानकारी। इससे ही पता चलेगा कि वास्तव में सभी महिलाओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के प्रावधानों के मुताबिक अधिकार मिल रहे हैं अथवा नहीं!

जिला स्तर पर क्या भूमिका है और किसकी?	• जिला कार्यक्रम अधिकारी की भूमिका है कि जिले की समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में गर्भवती और धात्री महिलाओं का पंजीयन हो और हर केंद्र को नियमित रूप से जरूरत के मान से घर ले जाए जाने वाला भोजन उपलब्ध हो सके। • बाल विकास परियोजना अधिकारी को कार्यक्रम की निगरानी करना है। • यह सुनिश्चित करना कि नियमानुसार निश्चित समय में आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना हो।
क्रियान्वयन स्तर आंगनवाड़ी केंद्र के स्तर पर किसकी भूमिका है और क्या?	• आंगनवाड़ी केंद्र से कार्यकर्ता महिलाओं की दर्ज संख्या के मान से पोषण आहार की मांग करेगी। • आंगनवाडी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह घरों पर जाकर गर्भवती महिलाओं और उनके परिवार के साथ बातचीत करे और परामर्श दे। • समय पर पोषण आहार का वितरण किया जाना। उन्हे यह भी देखना होगा कि जिस मकसद से पोषण आहार कार्यक्रम चल रहा है वह मकसद पूरा हो रहा है या नहीं; यानी पोषण आहार के उपयोग पर ध्यान देना। • आपूर्ति की विसंगति की स्थिति में सच्चाई को पर्यवेक्षक अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी के संज्ञान में लाना।
गांव / बस्ती में सामाजिक संपरीक्षा में क्या जांचें?	• आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों और महिलाओं की पंहुच में है या नहीं? • यदि नहीं तो क्या नयी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के लिए मांग की गयी? यदि हाँ, तो मांग के आवेदन का क्या हुआ? • क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने जरूरत के मान से पोषण आहार की मांग की? • क्या उसे मांग के मुताबिक पोषण आहार प्राप्त हुआ? • हमें यह जांचना है कि हर पात्र महिला आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज है और उन्हे नियमित रूप से पोषण आहार मिल रहा है। • यह देखना कि परिवार में पोषण आहार का उपयोग किसके द्वारा किया जा रहा है? महिला द्वारा या सभी सदस्यों द्वारा! • क्या गांव में सभी को यह जानकारी है कि कब पोषण आहार आता है, कितना आता है, कब वितरित होता है और किसी के साथ बहिष्कार तो नहीं होता? • यदि कोई समस्या या विसंगति थी तो क्या पर्यवेक्षक / परियोजना अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी को बताया गया? • निगरानी के लिए स्थापित निगरानी सूचना प्रबंधन व्यवस्था (एमआईएस) के लिए भेजी गयी जानकारी और एमआईएस में दर्ज जानकारी का विवरण।
सतर्कता और निगरानी	• स्थानीय (राशन दुकान के स्तर पर) पर बनी सतर्कता समिति भी यह देखेगी कि महिलाओं को पोषण आहार का हक मिल रहा है या नहीं? • यदि कोई समस्या है तो वह जिला शिकायत निवारण अधिकारी के संज्ञान में बात लाएगी।
जिला स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था	जिले पर नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी बच्चों और महिलाओं के लिए पोषण आहार कार्यक्रम के लिए भी जिम्मेदार होंगे। वे निश्चित समय सीमा ने शिकायतों का निराकरण करेंगे।
राज्य खाद्य आयोग	राज्य स्तर पर राज्य खाद्य आयोग भी इस विषय की निगरानी करेगा।

अधिकार क्या है? – मातृत्व हक़	
अधिकार कैसे मिलेंगे?	• मातृत्व हक़ के रूप में हर गर्भवती महिला को 6000 रूपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस पर बीपीएल की शर्त जैसी कोई शर्त नहीं होगी।
राज्य स्तर पर भूमिका किसकी है और क्या ?	• केंद्र सरकार इसके लिए व्यवस्था बनाएगी और राज्य सरकार महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि हर महिला को (उन्हे छोड़ कर जो सरकारी नौकरी में हैं या किसी अन्य क़ानून के तहत हक़दार हैं)। • जरूरी है कि इन महिलाओं के पास यदि बैंक खाते नहीं हैं, तो शून्य शेष (यानी बिना कोई राशि जमा कराये) पर इनके खाते खोले जाने चाहिए।
जिला स्तर पर क्या भूमिका है और किसकी?	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करें कि हर गर्भवती और धात्री महिला का पंजीयन हो और सम्मानजनक तरीके से उन्हे मातृत्व हक मिले।
क्रियान्वयन स्तर आंगनवाड़ी केंद्र के स्तर पर किसकी भूमिका है और क्या?	नियमित सर्वे के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की यह जिम्मेदारी है कि वह हर पात्र महिला का पंजीयन करें और प्रक्रिया के मुताबिक उन्हें मातृत्व हक दिलवाए।
गांव / बस्ती में सामाजिक संपरीक्षा में क्या जांचें?	• हर महिला का पंजीयन हो। • यह सुनिश्चित करना कि हर महिला (कुछ विशेष शर्तों जय वह सरकारी नौकरी में है अथवा उसे इसी तरह के किसी और क़ानून-योजना के तहत यही लाभ मिला है, को छोड़ कर) को मातृत्व हक़ मिलें। • हर महिला का बैंक खाता खुला है और वह उसका संचालन आसानी से कर पा रही है?
सतर्कता और निगरानी	
जिला स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था	
राज्य खाद्य आयोग	
अधिकार क्या है? – क़ानून कहता है कि जो भोजन मिलेगा, उससे 600 कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए।	
अधिकार कैसे मिलेंगे?	•
राज्य स्तर पर भूमिका	•

किसकी है और क्या ?	
जिला स्तर पर क्या भूमिका है और किसकी?	
क्रियान्वयन स्तर आंगनवाड़ी केंद्र के स्तर पर किसकी भूमिका है और क्या?	
गांव / बस्ती में सामाजिक संपरीक्षा में क्या जांचें?	यह जांचना होगा कि जो पोषण आहार आंगनवाड़ी केंद्र से मिल रहा है, वह पोषक तत्वों के नज़रिए से गुणवत्तापूर्ण है।
सतर्कता और निगरानी	
जिला स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था	
राज्य खाद्य आयोग	
अधिकार क्या है? – बच्चों के अधिकार[7]	
अधिकार कैसे मिलेंगे?	• आंगनवाड़ी के जरिये छह माह से कम उम्र के बच्चों के लिए केवल स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जायेगा। • आंगनवाड़ी के जरिये 6 माह से 3 वर्ष की उम्र के बच्चों को घर ले जाया जाने वाला भोजन मिलेगा। जिसमे 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। • आंगनवाड़ी के जरिये 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह नाश्ता और फिर गर्म पका हुआ भोजन मिलेगा। जिसमे 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। • आंगनवाड़ी के जरिये 6 माह से 6 वर्ष की उम्र के जो बच्चे कुपोषित हैं, उन्हें घर ले जाए जाने वाला भोजन मिलेगा। जिसमे 800 कैलोरी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए • यह क़ानून कहता है कि हर आंगनवाड़ी केंद्र में खाना पकाने, पीने के पानी और स्वच्छता

[7] हर बच्चे को पोषण आहार का हक है। इसके लिए बसाहट (गांव / बस्ती / क्षेत्र) के हर घर का सर्वेक्षण किया जायेगा। इस तरह तीन तरह की जानकारियां हमारे सामने होंगी – हर घर के सर्वे से मिली जानकारी, इन बच्चों में से आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों की जानकारी, दर्ज बच्चों में से पोषण आहार प्राप्त करने वाले बच्चों की जानकारी; इसके साथ ही हमें देखना होगा कि हर बच्चे की वृद्धि निगरानी हो रही है या नहीं? इससे ही पता चलेगा कि वास्तव में सभी महिलाओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के प्रावधानों के मुताबिक अधिकार मिल रहे हैं अथवा नहीं!

	(शौचालय) की सुविधाएँ होंगी। • शहरी इलाकों में जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के सिद्धांतों को अपना कर केंद्रीयकृत रसोई घर की सुविधा का उपयोग किया जा सकेगा। • स्थानीय आंगनवाड़ी ऐसे बच्चों की पहचान करेगी, जो कुपोषण की गिरफ्त में हैं। ताकि पोषण आहार के जरिये कुपोषण को दूर किया जा सके।
राज्य स्तर पर भूमिका किसकी है और क्या ?	• राज्य सरकार (महिला एवं बाल विकास विभाग) इसके सन्दर्भ में एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यक्रम अथवा आईसीडीएस मिशन के तहत व्यवस्थित नियम और प्रक्रियाएं तय करेंगे। • बच्चों के हक चार स्तरीय सतर्कता समिति, जिला शिकायत निवारण अधिकारी और राज्य खाद्य आयोग के तहत निगरानी प्रक्रिया में रहेंगे। • राज्य सरकार निर्धारित मात्रा में पोषण आहार का आवंटन करेगी और सुनिश्चित करेगी कि वह मात्रा जरूरत के मान से हो। • राशन प्रणाली की तर्ज़ पर इसकी आंगनवाड़ी केंद्र तक पंहुच सुनिश्चित करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।
जिला स्तर पर क्या भूमिका है और किसकी?	• यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का आंगनवाड़ी में पंजीयन हो। • पोषण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • नियमित रूप से गुणवत्ता की जांच करना। • यह सुनिश्चित करना कि आंगनवाड़ी केन्द्रों के पास सम्मानजनक बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ हों। • यह निगरानी करना कि कुपोषित बच्चों की पहचान हो रही है।
क्रियान्वयन स्तर आंगनवाड़ी केंद्र के स्तर पर किसकी भूमिका है और क्या?	• सभी बच्चों का आंगनवाडी में पंजीयन करना। • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के प्रावधानों के मुताबिक पोषण आहार उपलब्ध करवाना। • सम्मानजनक और सामंजस्य पूर्ण माहौल उपलब्ध करवाना। • समुदाय के बीच वृद्धि निगरानी कार्यक्रम संचालित करना और उनसे बच्चों के विकास में आ रहे उतार-चढ़ावों के बारे में बातचीत करना। • यह काम सामुदायिक चार्ट्स के जरिये किया जाना चाहिए।
गांव / बस्ती में सामाजिक संपरीक्षा में क्या जांचें?	• हमें यह जांचना है कि हर पात्र महिला आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज है और उन्हे नियमित रूप से पोषण आहार मिल रहा है। • यह जांचना होगा कि जो पोषण आहार आंगनवाड़ी केंद्र से मिल रहा है, वह पोषक तत्वों के नज़रिए से गुणवत्तापूर्ण है। • इसके लिए परामर्श सेवाओं की जरूरत होगी, ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय में इसके बारे में समझ का विस्तार कर सक्रें और समुदाय में यह नज़र रखें कि किसी कारण से मान और बच्चे को तकलीफ न हो। • जो समूह या व्यक्ति भोजन पकाने के लिए जिम्मेदार है, उनकी कोई समस्याएं हैं क्या? • क्या कोई खास बच्चे या परिवार हैं, जिनके बच्चे केंद्र में नहीं आ रहे हैं; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं। • जहाँ भोजन पक रहा है, वहां साफ़-सफाई है।

	• यह देखना होगा कि नियमित रूप से बच्चों को घर ले जाए जाने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार मिल रहा है। • इसमे कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। • यह आंकलन भी करना होगा कि घर पर बच्चों को यह भोजन मिल रहा है। • यह देखना की बच्चियों को भोजन बिना भेदभाव के मिले। • यह जांचना कि आंगनवाड़ी केंद्र हवादार और सुरक्षित है? • उसमे खाना पकाने की अलग से व्यवस्था उपलब्ध है? • पीने के साफ़ पानी का स्रोत उपलब्ध है और केंद्र के भीतर पानी साफ़ बर्तन में रख गया है। • केंद्र में बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था है। • यह देखना चाहिए क्या स्थानीय स्तर या आंगनवाड़ी के आस-पास ही भोजन पकाने के लिए व्यवस्था उपलब्ध नहीं है? क्योंकि इससे समुदाय बेहतर निगरानी कर सकेगा। • यदि पोषण आहार केन्द्रीयकृत रसोईघर में बन रहा है तब भी वह सामाजिक संपरीक्षा, सतर्कता समिति और जिला शिकायत निवारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में होगा। • यह जांचना कि आंगनवाड़ी केंद्र में नियमित रूप से वृद्धि निगरानी की जा रही है। • वृद्धि निगरानी के लिए कौन–कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं; जैसे उम्र के मान से वज़न, लम्बाई के मान से वज़न, ऊपरी मध्य बांह की फीते से माप ली जाना आदि। • क्या सही तरीके से माप दर्ज की जा रही है? • क्या सभी बच्चों की वृद्धि निगरानी हो रही है? • क्या बच्चों की वृद्धि में हो रहे उतार-चढ़ाव का विश्लेषण हुआ? • जो बच्चे कुपोषित पाए गए, क्या उनके बारे में परिवार को बताया गया और परामर्श दिया गया? • क्या बच्चे को कोई बीमारी या उसके शरीर पर सूजन थी? • यदि हाँ, तो क्या उसे स्वास्थ्य केंद्र या पोषण पुनर्वास केंद्र ले जाया गया? • क्या उस बच्चे को नियमित रूप से अतिरिक्त पोषण आहार मिला? • क्या वह पोषण आहार उस बच्चे ने खाया? • उन बच्चों की स्थिति क्या है?
सतर्कता और निगरानी	
जिला स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था	
राज्य खाद्य आयोग	

मध्यान्ह भोजन योजना – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग (स्थानीय निकाय)

अधिकार क्या है?	स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भोजन – मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम। इसके तहत जो भोजन मिलेगा उसमें यह होगा – **निम्न प्राथमिक कक्षा** के बच्चों के लिए – 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन। **उच्च प्राथमिक कक्षा** – 600 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन। (इस सन्दर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने भोजन सामग्री की मात्रा के मापदंड तय किया हैं। उन मापदंडों की जानकारी इस दस्तावेज के परिशिष्ट – दो में हैं।)
अधिकार कैसे मिलेंगे?	सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को (जिनका आयु समूह 6 से 14 वर्ष है या आठवी तक की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को)।
राज्य स्तर पर भूमिका किसकी है और क्या ?	• इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण इलाकों में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय निकाय विभाग द्वारा किया जा रहा है। • हर दूसरे वर्ष केंद्र सरकार के नियमों के तहत राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि संयुक्त समीक्षा मिशन के जरिये कार्यक्रम की समीक्षा करती है। • हांलाकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टी में भी मध्यान्ह भोजन दिया जाता रहेगा। राज्य सरकार यह प्रावधान कर सकती है। • समुदाय और स्थानीय निकायों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नीति और नियम बनाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
जिला स्तर पर क्या भूमिका है और किसकी?	• जिला स्तर पर जिला पंचायत और जिला कलेक्टर की इसके क्रियान्वयन में अहम भूमिका है। वे स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मिल कर इसका क्रियान्वयन करते हैं।
क्रियान्वयन स्तर स्कूल के स्तर पर किसकी भूमिका है और क्या?	• अवकाश के दिन छोड़ कर हर रोज पका हुआ भोजन मिलना चाहिए। • बिना किसी भेदभाव के सम्मानजनक तरीके से गुणवत्तापूर्ण गरम और पका हुआ भोजन बच्चों को मिलना चाहिए।
गांव / बस्ती में सामाजिक संपरीक्षा में क्या जांचें?	• हर रोज गरम पका हुआ गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल दिया जा रहा है। • वहां किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है? • वहां भोजन पकाने के लिए स्थितियां और सुविधाएँ पूरी उपलब्ध हैं?
सतर्कता और निगरानी	• स्थानीय (राशन दुकान के स्तर पर) पर बनी सतर्कता समिति भी यह देखेगी कि स्कूल जाने वाले बच्चों को पोषण आहार का हक मिल रहा है या नहीं? • यदि कोई समस्या है तो वह जिला शिकायत निवारण अधिकारी के संज्ञान में बात लाएगी।
जिला स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था	जिले पर नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी स्कूल जाने वाले बच्चों के पोषण आहार कार्यक्रम के लिए भी जिम्मेदार होंगे। वे निश्चित समय सीमा ने शिकायतों का निराकरण करेंगे।
राज्य खाद्य आयोग	राज्य स्तर पर राज्य खाद्य आयोग भी इस विषय की निगरानी करेगा।

अधिकार क्या है? यह क़ानून कहता है कि हर स्कूल में खाना पकाने, पीने के पानी और स्वच्छता (शौचालय) की सुविधाएँ होंगी।	
अधिकार कैसे मिलेंगे?	स्कूल के द्वारा
राज्य स्तर पर भूमिका किसकी है और क्या ?	यह सुनिश्चित करना कि स्कूल के पास सम्मानजनक बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ हों।
जिला स्तर पर क्या भूमिका है और किसकी?	
क्रियान्वयन स्तर स्कूल के स्तर पर किसकी भूमिका है और क्या?	
गांव / बस्ती में सामाजिक संपरीक्षा में क्या जांचें?	• यह जांचना कि आंगनवाड़ी केंद्र हवादार और सुरक्षित है? • उसमे खाना पकाने की अलग से व्यवस्था उपलब्ध है? • पीने के साफ़ पानी का स्रोत उपलब्ध है और केंद्र के भीतर पानी साफ़ बर्तन में रख गया है। • केंद्र में बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था है।
सतर्कता और निगरानी	
जिला स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था	
राज्य खाद्य आयोग	
अधिकार क्या है? - शहरी इलाकों में जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के सिद्धांतों को अपना कर केंद्रीयकृत रसोई घर की सुविधा का उपयोग किया जा सकेगा।	
अधिकार कैसे मिलेंगे?	
राज्य स्तर पर भूमिका किसकी है और क्या ?	

जिला स्तर पर क्या भूमिका है और किसकी?	
क्रियान्वयन स्तर स्कूल के स्तर पर किसकी भूमिका है और क्या?	
गांव / बस्ती में सामाजिक संपरीक्षा में क्या जांचें?	• यह देखना चाहिए क्या स्थानीय स्तर या स्कूल के आस-पास ही भोजन पकाने के लिए व्यवस्था उपलब्ध नहीं है? क्योंकि इससे समुदाय बेहतर निगरानी कर सकेगा। • यदि स्कूल का भोजन केन्द्रीयकृत रसोईघर में बन रहा है तब भी वह सामाजिक संपरीक्षा, सतर्कता समिति और जिला शिकायत निवारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में होगा।
सतर्कता और निगरानी	
जिला स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था	
राज्य खाद्य आयोग	

परिशिष्ट – 1 प्राथमिकता वर्ग के परिवार जो उचित मूल्य की दुकान से सामग्री हेतु पात्र हैं

1. मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक।

2. अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में रहने वाले बच्चे।

3. गांवों में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर।

4. शहरों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति।

5. शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएं।

6. रेलवे के पंजीकृत कुली।

7. बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक (उन्हीं पूर्व नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित किया जाना है, जिनमें श्रमिकों के भुगतान निराकरण न होने के कारण लंबित हैं)।

8. समस्त भूमिहीन कोटवार- (वे सभी कोटवार जो भूमि स्वामी के रूप में धारण किए जाने वाली भूमि की गणना कर भूमिहीन की श्रेणी में आते हों)।

9. नगरीय निकायों में पंजीकृत केश शिल्पी। एचआईवी (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से योजना का लाभ लेना चाहते हों)।

10. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही।

11. निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन।

12. ग्रामीण क्षेत्र में वनाधिकार पट्टेधारी।

13. मत्स्य पालन के लिए बनी मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्य और उनके परिवार।

14. वे परिवार, जिनकी 50% फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो गयी हो।

15. शहरी क्षेत्रों में हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति।

16. शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)।

17. मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।

18. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक।

19. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी।

20. पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति।

21. सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत मत्स्य पालन करने वाले (मछुआरे) परिवार/सदस्य।

22. समस्त बीपीएल सूची में शामिल परिवार।

23. समस्त अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार।

24. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार [1]।

25. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार (आयकर भुगतानकर्ता या सरकारी,अर्द्ध सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत को छोड़ कर]।

26. चालक / परिचालक (बिंदु 25 और 26 में उन्हे छोड़ कर जो आयकर का भुगतान करते हैं या सरकारी, अर्द्ध सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में काम करते हैं)